राजस्थान विधान सभा

७१ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक १४ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८-५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १७७३

राजस्थान निर्माण के पश्चात जयपुर डिविजन में घरेलू उद्योगों के लिए दी गई रकमें

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद जयपुर डिविजन में किन किन घरेलू उद्योगों को कब कब कितने कितने रुपये लोन के रूप में दिये गये ?

(ख) उक्त लोन किन शर्तों पर दिया गया ?

(ग) उक्त लोन में से अभी तक कितना रुपया वसूल हुआ है ?

(घ) उक्त लोन लेने वाले कितने कारखाने अभी बन्द पड़े हैं ?

(ङ) उक्त लोन क्या किसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर दिया गया ?

(च) उक्त लोन में कितना हिस्सा शहरी क्षेत्र को और कितना देहाती क्षेत्र को मिल पाया है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(क) राजस्थान निर्माण के बाद निम्नलिखित गृह उद्योगों को निम्न लिखित सहायता दी गई ;

मेकेनाइज्ड फार्म एण्ड इन्डस्ट्रीज़, प्रतापनगर २८,५०० रुपये ।

खादी भंडार चौमू १ लाख २५ हजार रुपये ।

Page No.2

[श्री जयनारायण व्यास]

(ख) शर्तों की नकल सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उत्तर विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजा गया।

(ग) नम्बर १ से कुछ भी वसूली नहीं हुई।

(घ) नम्बर २ से ४१,३१६ रुपये और १२,८६४ रुपये व्याज के; इस तरह से ५४,२१० रुपये वसूल हुए।

(घ) कोई बन्द नहीं है।

(ङ) इन लोगों द्वारा आवेदन-पत्र दिये गये थे।

(च) शहरी क्षेत्र में २८,५०० रुपये और देहाती क्षेत्र में १ लाख २५ हजार रुपये।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन कामों के अलावा और भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनको लोन नहीं दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सही है कि कई महत्वपूर्ण उद्योग राजस्थान बनने के बाद ऐसे आये जिनको बहुत कम लोन दिया गया है और यह भी बात सही है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह बहुत सा लोन दे सके।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार अन्य उद्योगों को भी विशेष लोन देने पर विचार करेगी ?

श्री जयनारायण व्यास—आर्थिक स्थिति ठीक होने पर।

श्री चांदमल मेहता—जो सूची सदन की मेज पर रखने को कहा गया उसकी प्रति प्रश्नकर्त्ता को पहले दी जाती तो प्रश्न पूछने में सहूलियत होती।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय मुख्य मंत्री ने फरमाया कि मेकेनाइज्ड फार्म प्रतापनगर को कुछ आर्थिक सहायता दी गई; मैं यह जानना चाहता हूं कि घरेलू उद्योग कब से मेकेनाइज्ड समझे जाने लगे हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मेकेनाइज्ड फार्मिंग तो क्या; यों कहना चाहिये यह कंपनी हल आदि खेती का सामान बनाती है। यह तो इस कम्पनी का नाम है।

Page No.3

प्रश्न संख्या १७७४

किशनगढ़ सब डिविजन के अध्यापकों के फिक्सेशन के मसले सरकार के विचाराधीन

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) किशनगढ़ सब डिविजन के किस किस अध्यापक के फिक्सेशन के मसले सरकार के विचाराधीन कितने कितने बर्षों से हैं ?

(२) उक्त मसलों के कब तक फैसला होने की आशा की जा सकती है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—किशनगढ़ सब डिविजन के जिन अध्यापकों का फिक्सेशन पूर्ण रूप से तय नहीं हुआ उनकी संख्या ८४ है।

उक्त अध्यापकों में से ५७ अध्यापकों का फिक्सेशन तय हो चुका है बाकी के लोगों के फिक्सेशन पर अकाउन्टेन्ट जनरल ने एतराज किया था इसलिये विचाराधीन हैं।

बाकी २७ का फिक्सेशन जिनका फिक्सेशन अभी तक तय नहीं हुआ है उनकी सूची इस प्रकार है :

१. हिन्दी मिडिल स्कूल अराई

(१) श्री मुहम्मद यासीन खां
(२) ,, मोहनलाल

२. हिन्दी मिडिल स्कूल सरवाड़ :

(१) श्री जमनालाल भटनागर
(२) ,, रतन लाल गुप्ता
(३) ,, राम निवास
(४) ,, बंसी लाल शर्मा
(५) ,, नाथू लाल जोशी
(६) ,, राजमल पायक
(७) ,, हरी प्रसाद
(८) ,, जमना लाल

[श्री भोलानाथ]

३. हिन्दी मिडिल स्कूल रूपनगढ़:

(१) श्री लक्ष्मी नारायण जोशी
(२) ,, रामरतन
(३) ,, कल्याणसिंह
(४) ,, तेजपाल
(५) ,, धूली लाल
(६) ,, नन्द लाल

४. हिन्दी मिडिल स्कूल करकेडी

(१) श्री महावीर प्रसाद
(२) ,, धीसालाल
(३) ,, वेदव्रत
(४) ,, बद्री लाल
(५) ,, ओम प्रकाश
(६) ,, घीसा लाम शर्मा
(७) ,, बदी लाल जोशी
(८) ,, चतुरभुज
(९) ,, कल्याण शर्मा
(१०) ,, सुगन लाल

५. हिन्दी मिडिल स्कूल किशनगढ़

(१) श्री गोपी लाल

श्री चांदमल मेहता— ए० जी० ने जो एतराज किया, कब किया और सरकार ने उनका फिक्सेशन कब कर दिया था ?

श्री भोलानाथ— एतराजात तो आगे पीछे किसी भी टाइम पर करते रहते हैं फिक्सेशन और उसका ऑडिट भिन्न भिन्न समय पर हुआ और होता रहता है।

श्री चांदमल मेहता— यह मांग व ऑडिट के मामले को लेकर कितने अर्से से पेन्डिंग है ?

श्री भोलानाथ— ऑडिट के मामले को लेकर यह मामला छ महिने से ज्यादा पेन्डिंग नहीं है। कुछ फिक्सेशन के सिलसिले में झगड़ा है, दो-तीन पोस्टों के लिये झगड़ा है; इसके बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेंट से वार्ता चल रही है।

श्री चांदमल मेहता— ए० जी० की आपत्ति आने से पूर्व यह मामले फिक्सेशन के कितने अर्से से पेन्डिंग हैं ?

श्री भोलानाथ— वर्षों का सवाल इसमें नहीं है। सन् ५१ में नये ग्रेड्स की घोषणा हुई थी। उसके बाद में जो डिसिजन लेना था, रूल्स के मुताबिक लिया गया। फिर भी उसमें कई प्रकार के केसेज हैं जिनके बारे में एतराज किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—ए. जी. के एतराज के अलावा ये केसेज़ कितने अर्से से पेंडिंग हैं, यह मैं जानना चाहता हूं और अब तक पेन्डिंग रखने के क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ—अब तक पेन्डिंग रखने का यह कारण है कि जो जिस ग्रेड के लिए लायक था उसको उस ग्रेड में रखना जरूरी हो जाता है, लेकिन उतनी पोस्टें हैं नहीं, इसके लिए एग्जामिन किया जा रहा है। यह केवल किशनगढ़ सब-डिवीजन का ही सवाल नहीं है, तमाम राजस्थान का है जिसमें भिन्न भिन्न ग्रेड्स थे। यह करीब २२ हजार अध्यापकों का सवाल है, केवल किशनगढ़ सब-डिवीजन से ही इसका संबन्ध नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—एग्ज़ामिन करने के लिए सरकार को कितने वर्षों की जरूरत है ? यह मामला १९५१ से चल रहा है।

श्री भोलानाथ—अभी बहुत समय चाहिये। यह मामला पैसे देने का मामला है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जावे कि अध्यापक जिनको बहुत कम पैसा मिलता है, उनके लिए पैसा मिलना जरूरी नहीं है ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह तीन साल का समय पर्याप्त नहीं समझा जाता ?

श्री भोलानाथ—यह मैंने अर्ज किया कि कुछ जगह तो ऑडिट हुआ और वहां ठीक पाया गया और कुछ जगह ऑडिट के ऐतराज कर दिये गये। यह ऑडिट का सवाल है, यह कुछ ही अध्यापकों का प्रश्न नहीं है। यह २०-२२ हजार लोगों की सर्विस का प्रश्न है। इसको देखना पड़ता है कि किसी डिज़र्विंग आदमी को किसी गड़बड़ी से नुकसान नहीं हो जावे।

Page No.6

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह्—आपने यह फरमाया सो ठीक है। आपने कई दफे कहा और हमने कई दफे सुना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह तीन साल का समय इस कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है?

श्री चांदमल मेहता—क्या जिन अध्यापकों के बारे में ऑडिट की तरफ से कोई ओब्जेक्शन नहीं है उन पर सरकार विचार करना नहीं चाहती?

श्री भोलानाथ—जिनके मामले साफ हैं उनको तनख्वाहें मिल रही हैं और जिनकी गलती से रिकवरी स्लीप आ गई है उनको भी फिलहाल हमने रोक दिया है।

श्री चांदमल मेहता—मेरा यह ऐतराज है कि क्या सरकार एक एक अध्यापक का फैसला नहीं करके सबका एक साथ फैसला करने की सोच रही है?

श्री भोलानाथ—हर एक केस मेरिट्स पर जावेगा और हर एक केस को देखना होगा और इसके बाद में यह भी देखना होगा कि इसके लिए कोई......

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार की यह जानकारी में है कि वे केसेज़ जो बिल्कुल साफ हैं और जिनके बारे में गलत नोटिफिकेशन निकल चुके हैं और जिनके केसेज़ १९५१ से पेन्डिंग हैं, उनकी क्या आप जांच करेंगे?

श्री भोलानाथ—आप क्या सूचना दे रहे हैं कि उनके केसेज १९५१ से पेंडिंग हैं?

श्री चांदमल मेहता—क्या इस विभाग की शिथिलता के कारण यह मामले पेन्डिग पड़े हुए हैं।

श्री भोलानाथ—आप अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री कंवरलाल जेठिया—मुझे एक पूरक प्रश्न करना है। क्या सरकार को यह जानकारी में है कि कोटा डिवीजन में फिक्सेशन के प्रश्न पर जो हिन्दी की योग्यता रखने वाले अध्यापक हैं उनके साथ अन्याय किया गया है?

श्री अध्यक्ष—(अश्रव्य)

कुं॰ श्री जसवन्तसिंह्—The Hon'ble Minister has......

Page No.7

श्री कंवरलाल जेलिया—यह फिक्सेशन का प्रश्न है। फिक्सेशन की नीति किशनगढ़ सब-डिवीजन के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान भर के लिए व्यापक होगी, इसलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है और मुझे पूछने का हक है।

श्री भोलानाथ—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी कोटा डिवीजन में ही हुई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार, जिनकी यह गलती है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी ? क्या यह डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की गलती है, जिसने अध्यापकों के साथ अन्याय किया है ?

श्री भोलानाथ—किसी भी व्यक्ति की गलती हो। जिसने गलती की होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा। चाहे ऐसी गलती एकाउन्टेन्ट ने की हो या डाइरेक्टर ने, वह पकड़ा जावेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन फरार है, सो उनको पकड़ने की कोशिश की जावेगी।

श्री जयनारायण व्यास—बीकानेर वाले फरार नहीं होते।

श्री कंवरलाल जेलिया—हिन्दी की योग्यता रखने वाले अध्यपकों के लिए...

श्री भोलानाथ—सबसे ज्यादा गड़बड़ी कोटा के अध्यापकों के fixation में ही हुई है।

श्री हिम्मतसिह (अटरू)—गड़बड़ ज्यादा अध्यापकों ने की है या आपने की है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७७५

रूपनगर में ग्राम पंचायत के पंच के विरुद्ध शिकायत

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) रूपनगर में ग्राम पंचायत में कुल कितने पंच हैं ?

Page No.8

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त पंचों में से कितनों ने त्यागपत्र दे दिया है ?

(ग) कितने पंच मुतवातिर कई मीटिंगों में अनुपस्थित रहते हैं ?

(घ) इस वक्त कितने पंच काम कर रहे हैं ?

(ङ) मौजूदा पंचों के खिलाफ क्या सरकार के पास कोई शिकायत पेश हुई है ?

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—(क) इस ग्राम पंचायत में १३ पंच थे।

(ख) उनमें से ७ पंचों ने त्यागपत्र दे दिये।

(ग) उपरोक्त ७ पंचों में से २ पंच बैठकों में अनुपस्थित रहते थे।

(घ) इस समय ७ पंच काम कर रहे हैं।

(ङ) कोई शिकायत नहीं है।

(च) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या रूपनगर की पब्लिक ने पंचों के चुनाव के लिए कई दफा मांग की है, यह सही है ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो पता नहीं कि वहां के लोगों ने मांग की या नहीं परन्तु एक पंच का चुनाव हो चुका है, और बाकी के हो रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरपंच काम नहीं कर रहा है और उप सरपंच रूपनगर का रहने वाला नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—पंचायत का काम बराबर हो रहा है और यह जरूरी नहीं है कि उप-सरपंच उसी जगह का रहने वाला हो।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि वहां पंचायत का काम प्रायः बन्द सा है ?

श्री रामकरण जोशी—मैंने कहा कि काम बराबर होता है और सरपंच रूपनगर का है और यह जरूरी नहीं है कि उप-सरपंच भी वहीं का रहने वाला हो।

श्री चांदमल मेहता—जो स्थान रिक्त हैं वे कितने अर्से से हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसके बारे में पूछ कर बता दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—रिक्त स्थान की कब तक पूर्ति का सरकार विचार रखती है ?

श्री रामकरण जोशी—बहुत शीघ्र।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १७७६

राजस्थान के श्रम हितकारी केन्द्र तथा उन पर व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में श्रम-हितकारी केन्द्र कहां कहां चल रहे हैं ?

(ख) ५३-५४ के वर्ष में इन केन्द्रों पर कितना रुपया खर्च किया गया ?

(ग) चालू वर्ष में कितने नये केन्द्र खोलने की योजना है ?

(घ) क्या किशनगढ़ में भी कोई केन्द्र खोलने की योजना है ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मंत्री)—(क) इस समय श्रम-हितकारी केन्द्र जयपुर, भीलवाड़ा एवं पाली में चालू हैं।

(ख) सन् १६५३-५४ में राजस्थान सरकार ने १२,६६६) रु० खर्च किये।

(ग) सात।

(घ) हां।

(ङ) बहुत जल्दी।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ की मिल राजस्थान में कभी से चालू है, फिर किशनगढ़ में अभी तक ऐसा श्रम केन्द्र नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—इस वर्ष के बजट में किशनगढ़ में खोलने की योजना है। जिनका नम्बर आवेगा वहां पर खोल दिये जावेंगे ।

श्री कंवरलाल जेलिया—किन किन बातों की सुविधा को देख कर यह श्रम-हितकारी केन्द्र कायम किये जाते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—लोगों की असुविधा को दूर करने के लिये ही, इस प्रकार के केन्द्र खोले जाते हैं ।

श्री कंवरलाल जेलिया—(अश्रव्य)

श्री रामकरण जोशी—वहां पर एक श्रम हितकारी...

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सरकार के देख रेख में है ?

श्री रामकरण जोशी—यह सरकार के निरीक्षण में चलता है । अगर कोई शिकायत हो तो सरकार के पास भेजना चाहिये ।

श्री कंवरलाल जेलिया—वहां पर इन्सपेक्टर एक वर्ष में मुश्किल से एक दफा जाता है, क्या सरकार को यह मालूम है ।

श्री रामकरण जोशी—बहुत से आदमी साल में वहां पर जाते हैं । साल में एक दफे वहां लेबर मिनिस्टर भी जाया करता है ?

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं समझता हूं कि वहां पर दो वर्षों में भी किसी ने दौरा नहीं किया होगा ?

श्री रामकरण जोशी—गत साल श्रम वर्गों की वहां पर एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें बहुत से लोग आए थे ।

श्री कंवरलाल जेलिया—वहां के श्रमिक आज भी राजस्थान सरकार से बार बार प्रार्थना करते हैं, उनको मकान आदि की सुविधा देने के लिए क्या सरकार कुछ नहीं करना चाहती ?

श्री रामकरण जोशी—यह वहां की लोकल समस्या है । वहां की म्युनिसिपेलिटी उनको मकान देने के लिये तैयार नहीं है ।

Page No.11

श्री सन्तोषसिंह—क्या यह सही है कि उन कारखानों के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती है ?

श्री रामकरण जोशी—कारखानों में साप्ताहिक छुट्टी रखना अनिवार्य है। ऐसी कोई शिकायत है तो लेबर डिपार्टमेंट को लिखिये, वे अवश्य उचित कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या १७७७

इस वर्ष खोले जाने वाले नए हाई स्कूल विशेषतया परबतसर में

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में कितने नए हाई स्कूल कहां कहां खोलने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है ?

(ख) उक्त स्थानों में कहां कहां हाई स्कूल को पढ़ाई शुरु हो चुकी है और कहां कहां नहीं हुई है ?

(ग) क्या यह सही है कि परबतसर में भी हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति हो चुकी है ?

(घ) यदि हां, तो वहां हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) सूची इस प्रकार है :

	मिडिल स्कूल	जिला
१.	सेमलवाड़ा	डूंगरपुर
२.	सांगोद	कोटा
३.	राजलदेसर	बीकानेर
४.	टोडाभीम	सवाई माधोपुर
५.	मलरी कलां	अलवर
६.	गर्ल्स मिडिल स्कूल, झालावाड़	झालावाड़
७.	मिडिल स्कूल, सिवाना	बाडमेर

[श्री भोलानाथ]

८.	मालवाड़ा	जालोर
९.	बालेश्वर	जोधपुर
१०.	खंडेला	सीकर
११.	बेगुन	चितौड़
१२.	रायपुर	भीलवाड़ा
१३.	फतहनगर	उदयपुर
१४.	हनुमानगढ़	बीकानेर
१५.	चाकसू	जयपुर
१६.	नदबई	भरतपुर
१७.	नगर	भरतपुर
१८.	कुचेरा	नागौर
१९.	परबतसर	नागौर
२०.	बैराठ	जयपुर
२१.	रामगढ़	अलवर

(ख) जिस जिस स्थान पर नये स्कूल खोले गये हैं उन सब स्थानों पर नवमी क्लास की पढ़ाई वहां के मौजूदा स्टाफ द्वारा शुरू करवादी गई है। नये अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है ।

(ग) हां, परबतसर जिला नागौर में हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति दे दी गई है ।

(घ) परबतसर हाई स्कूल में भी नवमी क्लास की पढ़ाई वहां के मौजूदा स्टाफ द्वारा शुरू करवा दी गई है और नये अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि बिना अध्यापकों के नियुक्त किये कोई क्लासेज़ चलाई नहीं जा सकतीं। जहां जहां हाई स्कूलें खोली गई हैं वहां वहां मिडिल के अध्यापक हैं। क्या सरकार यह समझती है कि बिना अध्यापकों के स्कूलें चलाई जा सकेंगी ?

श्री भोलानाथ—जो अध्यापक ऊंची क्लासेज़ को पढ़ाने योग्य समझे जाते हैं उन पुराने अध्यापकों को भी मौका दिया जाता है ।

Page No.13

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जाय कि जहां जहां हाई स्कूल खोलें हैं वहां के अध्यापक पहले सर्प्लस थे, इसलिये उनको पढ़ाने का काम दिया गया है ?

श्री भोलानाथ—स्वीकृति हुए बिना नये स्टाफ को रिक्रूट नहीं किया जा सकता। स्वीकृति अभी मिली है इसलिये अब रेक्रूट किये जायेंगे। जो नये अध्यापक रखे जायेंगे वे भी पी. एस. सी. के मार्फत रखे जायेंगे इसलिये इसमें देरी लगेगी। जब तक नये नहीं रखे जाते तब तक पुरानों से ही काम चलाना होगा और पुरानों में से जो योग्य हैं उनको मौका देना भी चाहिये।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह मानने काबिल है कि अध्यापक नहीं भेजे जायं और क्लासेज़ खोली जायं।

श्री भोलानाथ—मानने लायक बात है और व्यवहारिक बात है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या कारण है कि मांगरोल और छींपा बरोड की जनता ने हाई स्कूल के लिये इमारत देने का वादा किया, उसके वावजूद भी सरकार ने वहां पर हाई स्कूल नहीं खोली ?

श्री भोलानाथ—छीपा बरोड़ के लिये तो युनिवर्सिटी ने ही मना कर दिया और मांगरोल का मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—अध्यापक कब तक भेज दिये जायेंगे ?

श्री भोलानाथ—जल्दी ही भेजे जायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सेशन शुरू होने के कितने दिन बाद क्लासेज़ खोली गईं ?

श्री भोलानाथ—मैंने आपको बतलाया कि अभी स्वीकृति दी गई है इसलिये कुछ देर हुई है। आगे देर न हो इसलिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या अगले सेशन से मांगरेल में हाई स्कूल खोली जायगी ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १५७८ और १७७६

श्री अध्यक्ष—श्री भवानीसिंह शर्मा।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या १७८०

शिक्षा-विभाग के विभिन्न उच्चअधिकारियों के सेवाकाल तथा उनके वेतन

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) निम्नलिखित अफसरों की योग्यता व लेन्थ ऑफ सर्विस कितनी कितनी है :

(१) डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग,

(२) डिप्टी डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, जयपुर,

(३) इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जयपुर डिस्ट्रिक्ट,

(ख) उक्त अफसरों को इस वक्त कितनी २ तनख्वाह मिल रही है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—

नाम ओफिसर	योग्यता	सेवा काल	तनख्वाह
१. श्री कुं० गजराजसिंह, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग	एम.ए.एल.एल.बी डी. एड,	१६ साल १० माह १६ दिन	८०० और २०० ग्रेड ८००-१२००
२. श्री आर. बी कुम्भारे, उप शिक्षा अध्यक्ष, जयपुर,	एम. ए.,एल. टी.,टी. डी.	१५ साल ११ माह २४ दिन	५०० व १०० ग्रेड ५००-७००
३. श्री बी. जी. तिवारी, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जयपुर	एम. ए., बी. एस सी., बी. टी.	६ वर्ष ८ माह २८ दिन	४०० व १०० ग्रेड ३००-७००

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन तीनों अफसरों में सबसे अधिक सर्विस वाले और सबसे अधिक योग्य ऑफिसर वर्तमान इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स जयपुर हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—आपकी दृष्टि से हो सकता है लेकिन शिक्षा विभाग की दृष्टि में नहीं है।

प्रश्न संख्या १७८१

खाम भूमि के किरायेदारों को तहसीलदार गंगापुर द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड, गंगापुर को किराया न देने के नोटिसेज

श्री रिद्धीचन्द पालीवाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसीलदार गंगापुर ने कुछ नोटिसेज़ द्वारा खाम जमीन के किरायेदारों को यह आदेश दिया है कि जमीन का किराया म्युनिसिपल बोर्ड गंगापुर को न दिया जावे ?

(ख) यदि यह सच है, तो क्या इस प्रकार के आदेश तहसीलदार दे सकता है ?

(ग) इस प्रकार के अनुचित कार्यों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) जी हां, जब तक खाम जमीन का कब्जा म्युनिसिपेलिटी को दिलाने के सम्बन्ध में सरकार से आज्ञा जारी नहीं हो जाती तब तक म्युनिसिपेलिटी को देना आपत्तिजनक है ।

(ख) यह सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रश्न संख्या १७८२

जैसलमेर तथा फलौदी के ६ प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

श्री हनवन्तसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) जिला जैसलमेर में कितने प्राईमरी स्कूल्स है ?

(ख) सब डिविजन फलोदी में कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं ?

(ग) जिला जैसलमेर व सब डिविजन फलोदी में ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां मास्टर नहीं हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि इन इलाकों में मास्टर स्कूल्स में हाजिर नहीं होते हुए भी सरकार से पूरी तनख्वाह लेते हैं ?

[श्री हनवन्त सिंह]

(ङ) क्या यह भी सच है कि गांव वालों ने लिखित शिकायतें भी कीं मगर नतीजा कुछ नहीं हुआ ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(क) जिला जैसलमेर में इस समय ३६ प्राइमरी स्कूल्स हैं।

(ख) सब डिविजन फलोदी, जिला जोधपुर में इस समय २६ प्राइमरी स्कूल्स हैं।

(ग) जैसलमेर में एक स्कूल छात्रों के न होने से बन्द की गई थी, मगर हाल ही में वह फिर से छात्रों के आने से खोल दी गई है। फलोदी सब डिविजन में दो स्कूल के अध्यापक तो ट्रेनिंग पर भेजे गये हैं व १ स्कूल के अध्यापक ने त्याग पत्र दे दिया है। इन स्कूलों में अध्यापक शीघ्र भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है। बाकी सब स्कूलों में अध्यापक मौजूद हैं।

(घ) नहीं। स्कूल से गैर हाजिर रहने वाले अध्यापकों को तनख्वाह नहीं दी जाती है।

(ङ) इस विभाग में जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी पूरी जांच की जाती है और जिसका कसूर पाया जाता है उस पर उचित कार्यवाही की जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— जो अध्यापक ट्रेनिंग में भेजे गये वहां पर दूसरे का प्रबन्ध किये बगैर क्यों उनको भेजा गया ?

श्री भोलानाथ— जहां जहां अध्यापक भेजने हैं, वहां वहां पर संभवत : भेज दिये होंगे। वहां का कुछ इलाका ऐसा है कि कुछ अध्यापक वहां जाने से इन्कार कर देते हैं इसलिये उनको पर्सुएड करना जरूरी होता है और जो क्वालिफिकेशन्स प्रेस्काइब की गई हैं, वैसे क्वालिफिकेशन के लोग वहां जाने को राजी नहीं होते हैं। वहां पर मिडिल पास न भेजा जाकर मेट्रिक पास भेजा जाना चाहिये लेकिन वहां जाने के लिये ऐसे लोग मिलते नहीं हैं इसलिये भेजने में देरी हो जाती है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— मेरा सवाल यह था कि जब दूसरे अध्यापक वहां नहीं भेजे जा सकते तो पुरानों को तब तक ट्रेनिंग में क्यों भेजा जाता है ?

श्री भोलानाथ— जिस अध्यापक का ट्रेनिंग के लिये नंबर आ जाता है उसको पनिशमेंट देना ठीक नहीं है। क्योंकि उसका नंबर आता है उसके स्थान पर दूसरे को भेजना ठीक नहीं है। यह सजा उसको बिना कुसूर देना ठीक नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह— क्या यह समझा जाय कि अध्यापकों को सजा देने के बजाय विद्यार्थियों को सजा देना आप मुनासिब समझते हैं ?

श्री भोलानाथ— गवर्नमेंट दोनों को ही सजा नहीं देना चाहती है।

श्री हनवन्तसिंह— क्या कोई ऐसी स्कूल नहीं है जहां एक भी मास्टर नहीं गया है और तनख्वाह बराबर उठती रहती है ?

श्री भोलानाथ— ऐसी यदि कोई शिकायत है तो आप ध्यान में लाइये, जिनका दोष होगा उनको सजा दी जायगी। मेरे ख्याल से कोई ऐसा स्कूल हो नहीं सकता जहां एक भी मास्टर नहीं गया हो और तनख्वाह बराबर मिलती हो। यदि पर्टिकुलरली किसी स्कूल के बारे में ऐसी बात है तो आप बतावें।

श्री हनवन्तसिंह— केकरा गांव की स्कूल में एक भी अध्यापक नहीं है और तनख्वाह उठती है। एक का नाम है टेकरा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रिद्धि चन्द पालीवाल।

प्रश्न संख्या १७८३

हिन्डोन हाई स्कूल के मुख्याध्यापक के विरुद्ध शिकायतों पर की गई जांच का परिणाम

श्री ऋद्धि चन्द पालीवाल—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

हिन्डौन हाई स्कूल के हैड मास्टर की शिकायत एक अर्से से हो रही है ? जनता की मांग पर जॉच भी की गई, उस जांच का क्या परिणाम निकला और अब इस ओर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—हिन्डौन हाई स्कूल के हैड मास्टर के खिलाफ शिकायत आई थी। उनके खिलाफ इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स कोटा द्वारा जांच कराई गई थी और उसकी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त हो चुकी है, इस पर विचार हो रहा है। क्योंकि मामला विचाराधीन है इस लिये परिणाम अभी नहीं बताया जा सकता।

राजस्थान पशु-सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न समाप्त हुए। आज भी अशासकीय कार्य का दिवस है। इसमें लेजिस्लेशन लिया जाता है। समय रहेगा तो कल रेजोल्युशन्स भी बाद में लिये जायेंगे।

[श्री अध्यक्ष]

श्री राम रतन टिक्कीवाल, दी राजस्थान प्रिज़र्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स (अमेंडमेंट) बिल, १६५४ पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगें।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—माननीय अध्यक्ष; "मैं दी राजस्थान प्रिज़र्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स (अमेंडमेंट) बिल, १६५४" पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रिज़र्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पुरः स्थापित करने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—मैं इसे पुरः स्थापित करता हूं।

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (निरोधक) विधेयक, १६५२
(अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—दी राजस्थान एनिमल एण्ड बर्ड सेक्रिफाइसेज़ (एबोलिशन) बिल, १६५२ पर अग्रेतर वाद विवाद।

कु० श्री जसवन्तसिंह—Sir, as far as I remember last time when this Bill was under consideration, the Deputy Speaker, I remember, who was in the chair promised to give his decision on the question as to whether it is permissible to consider this Bill by this House.

What has happened to this point?

The question was whether this Bill can be considered by this House and the opinion of the Advocate General was that under the Constitution it cannot be taken up and on this point there was a long debate in this House. Last time when the Deputy Speaker was occupying the chair, he said that he will announce a decision next time.

(कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—order please !

मैंने ५ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही को देखा है। उससे यह स्पष्ट हुआ है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोइन्ट्स इस विधेयक के बारे में सदन में उठाये गये और इसके पक्ष और विपक्ष में दलीलें दी गईं। स्पष्ट लगे जैसी बातें मेरे सामने उपस्थित नहीं होतीं, किन्तु फिर भी जो मुद्दे सदन में उठाये गये हैं मैं उन पर कुछ ऑब्ज़र्वेशन्स कर देना उचित समझता हूं।

प्रस्तुत राजस्थान पशु पक्षी बलि (निरोधक) बिल, ५२ के विषय में एक वैधानिक विवाद इस सदन में उत्पन्न हो गया है कि भारतीय विधान में संदेशित कुछ धाराओं के कारण इस बिल को सदन द्वारा विचारार्थ लिया जाकर पास करना उचित होगा या नहीं। सदन में इसके पक्ष और विपक्ष में माननीय सदस्यों ने युक्तियां दी हैं और सरकार के एडवोकेट जनरल ने भी अपनी सम्मति इस बिल के वैधानिक पहलू पर दी है कि जिसके अनुसार वर्तमान रूप में इस बिल को विधेयक (एक्ट) के रूप में पास करना संविधान की अवहेलना करना होगा। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि इस विषय में कुछ व्यवस्था (Ruling) दी जाय। प्रस्तुत विषय में माननीय सदस्यों की विचारधारा को प्रभावित न करने के प्रयास से ही मैं निम्नलिखित कुछ बातें विचारार्थ सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

एडवोकेट जनरल ने अपनी सम्मति में यह प्रगट किया है कि यदि इस बिल को कानून का स्वरूप दे दिया गया तो इसकी वैधानिकता ठीक नहीं होगी और इसका स्वरूप अवैधानिक होगा। पशु-पक्षियों के बलिदान का निषेध केवल मन्दिरों और पूजा के स्थान पर ही होगा और अन्यत्र बराबर इनका वध जारी रहेगा। इस कारण, एडवोकेट जनरल की राय में यह बिल, विभेदात्मक (डिसक्रिमिनेटरी) होगा। एडवोकेट जनरल की यह राय है कि बिल के प्रीएम्बल (Preamble) में यदि आर्थिक आधारों और सामाजिक सुधारों के कारणों का उल्लेख होता तो यह बिल संविधान की क्लॉज़ २५ (२) के अन्तर्गत वैध हो सकता था। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि बिल के अन्दर प्रीएम्बल (Preamble) का वर्तमान स्वरूप संविधान की क्लॉज़ २५ (२) का विरोधी है।

उक्त बिल की धाराओं की वैधानिकता पर अपनी सम्मति प्रकट करते समय एडवोकेट जनरल महोदय ने संविधान की क्लॉज़ २५ (२) पर ध्यान पूर्वक विचार नहीं किया प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि धारा २५ (२) संविधान का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकार धर्म सम्बन्धी किसी भी सेकूलर एक्टिविटी (Secular activity) को रेगूलेट (Regulate) या रेस्ट्रिक्ट (Restrict) करने में पूर्णतया सक्षम (परफेक्टली कम्पीटेन्ट) है। इससे यह और स्पष्ट हो जाता है कि जहां संविधान की क्लॉज़ २५ द्वारा धर्मावलम्बन की स्वतन्त्रता दी गई है वहां पर राज्य को यह कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है कि वह धर्मावलम्बन में धर्म निरपेक्ष प्रवृत्तियों का संयमन व नियमन भी कर सके।

[श्री अध्यक्ष]

While article 25 of the Indian Constitution confers freedom to practise religion, it also authorigss the State to make alaw regulating or restrictnig a secular activity associated with religions practice

अतः निर्णय के लिये यह प्रश्न सम्मुख आता है कि धार्मिक स्थानों में पशु-पक्षियों की बलि एक धार्मिक परम्परा रिलीजियस प्रैक्टिस (Religious practice) है या कोई ऐसी धर्म निरपेक्ष कार्यवाही है जिसका धार्मिक परम्परा से सम्बन्ध है; से कूलर एक्टिविटी एसोशियेटेड विथ रिलीजस प्रैक्टिस (Secular activity associated with religuis ptactice) religi ous practice only?

यदि यह केवल धार्मिक परम्परा ही है तो इस सम्बन्ध में इस परम्परा को संयमन, नियमन करने का कोई भी कानून विधान के विरुद्ध होगा। यदि इसके विपरीत ऐसी बलिदान धर्म निरपेक्ष कार्यवाही से सन्नद्ध धार्मिक परम्परा है सेकूलर एक्टिविटी एसोशियेटेड विथ रिलीजस प्रैक्टिस (Secular activity associated with religious practice) तो इस प्रकार के संयमन और नियमन के कानून पूर्णतया वैध माने जाएंगे।

इस प्रश्न पर विभिन्न मत हो सकते हैं। यद्यपि मैंने इस प्रश्न का बहुत विस्तार से अध्ययन किया है परन्तु इस प्रकार के बलिदान धार्मिक परम्परा हैं या ये धर्म निरपेक्ष कार्यवाहियां हैं, इस पर कोई निश्चित मत अभिव्यक्त करना इस सदन के सामने उचित नहीं होगा। इस प्रश्न को मैं सदन के निर्णय पर ही छोड़ना चाहता हूँ।

इस विषय में मुख्य बात ध्यान देने योग्य यह है कि इस प्रकार के पशु पक्षियों का बलिदान धार्मिक परम्पराएं हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस है (Religious precice) या सेकूलर एक्टिविटी (Seclar-tivity) है अथवा धर्म निरपेक्ष उपासनाएं हैं। जैसा कि मैंने ऊपर निर्देश किया है ऐसे प्रश्न पर वस्तुतः कानूनी मतैक्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह एक गम्भीर प्रश्न विचारार्थ इस सदन के सम्मुख उपस्थित है कि सदन यदि संविधान के इन्टरप्रीटेशन का अन्तिम अधिकार भी स्वयं ग्रहण करे और इस प्रकार के बिल को अस्वीकार कर दे चाहे वह बिल अवैधानिक या निरर्थक नहीं हो तो यह बात भिन्न हो जावेगी। यह बात भी भिन्न है कि यदि कोई बिल देखने में ही स्पष्टतया संविधान का उलंघन करता हो तो उसको सदन प्रारम्भिक दशा में ही अस्वीकार कर सकता है। किन्तु जहां बिल की वैधानिकता में वास्तविक रूप से विभिन्न मत हों ऐसी परिस्थिति में ऐसे बिल को अस्वीकृत कर देना उचित नहीं प्रतीत होता। प्रत्युत ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा ठीक यह प्रतीत होता है कि ऐसे विधेयक अस्वीकृत नहीं होने चाहिये, नहीं तो विधान सभाएं उन प्रश्नों पर निर्णय करने का अधिकार ले बैठेंगे जो वस्तुतः अदालतों का अधिकार क्षेत्र है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विधान सभाओं (लेजिस्लेचर्स) का अधिकार क्षेत्र मूलतः जनमत के बल पर कानून बनाना ही है और उन कानूनों का इन्टरप्रीटेशन करना कोर्ट्स ऑफ लॉ का अधिकार क्षेत्र है। यह अवश्य सत्य है कि विधान

[श्री अध्यक्ष]

सभा कोई ऐसे कानून बनाना उचित नहीं समझेगी जो मूल में ही स्पष्टतः अवैधानिक हों परन्तु जहां बारीक कानून की गुत्थियां हों और विचारार्थ विधेयक के विषय में विभिन्न मत हों, जिसके निर्णय करने में संशय का स्थान हो वहां पर उसकी वैधानिकता के इन्टरप्रीटेशन का प्रश्न ज्युडिसियरी या कोर्ट्स ऑफ लॉ पर ही छोड़ना उचित होगा ।

मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह अभिव्यक्ति करते समय मेरी मंशा सदन के माननीय सदस्यों की राय को प्रभावित करने की कदाचित् भी नहीं है । मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपना निर्णय करते समय मेरे इन ऑब्ज़र्वेशन्स को ध्यान में रखें । यही इस विवाद के विषय में मेरी व्यवस्था है ।

श्री शम्भूसिंह—ओन ए पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, अभी आपने इन्डियन कॉन्स्टीट्यूशन के अनुच्छेद २५ के निस्बत फरमाया, पर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात थी उसके मुतल्लिक आपने कुछ नहीं फरमाया ।

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी बताया था । शायद माननीय सदस्य ने ध्यान से उसे नहीं सुना । जहां बारीक कानूनी गुत्थियां हैं और जिसका इन्टरप्रिटेशन पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ से किया जा सकता है तो उस समय यह विधान सभा का कार्य नहीं है कि उस पर कोई अपनी सम्मति दें । न अध्यक्ष का काम उस पर रूलिंग देने का है, न विधान सभा का यह काम है। यह इन्टरप्रिटेशन करना कोर्ट ऑफ लॉ का काम है । यह विधान सभा तो कानून पास कर सकती है । हां, यदि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा मालूम हो कि कोई कानून साफ तौर से संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे कानून को यह विधान सभा रिजेक्ट कर सकती है । लेकिन यदि कोई ऐसा कानून है जिसका इन्टरप्रिटेशन पक्ष या विपक्ष दोनों रूपों में किया जा सकता है तो उचित यही होगा कि विधान सभा उस पर कोई अपना निर्णय इन्टरप्रिटेशन सम्बन्धी न दे और इसको कोर्ट ऑफ लॉ पर ही छोड़ दे ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, जो यह पांच अगस्त की प्रोसीडिंग्स हैं उनमें माननीय उपाध्यक्ष ने यह साफ कहा है कि वे अध्यक्ष से मिलकर इस पर कोई अपना रूलिंग देंगे । मैं अपनी याददाश्त से यह कह सकता हूं, जहां तक मुझे याद है ठीक इसी तरह से उन्होंने कहा था । तो इस पर आपको कोई रूलिंग सदन में देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—It is with me and I have studied it.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The judgment was reserved because I definitely remember his having said at the last moment that the judgment will be pronounced at a later date. I definitely remember his having said that the decision is

Page No.22

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

reserved for another occasion. If that is so, a decision has to be given. I might read the proceedings, sir, as it will facilitate matters. His last words if read before the House, it will facilitate matters. I definitely remember his having said that he is reserving judgement.

श्री अध्यक्ष—और कोई माननीय सदस्य पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री चांदमल मेहता—माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट कर दिये अब इसको वोट के लिये रख दिया जावे।

श्री तनसिंह—मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर पहले पहल जिस दिन हाउस में डिस्कशन शुरू हुआ था एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया था और यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करने के बाद जो उस समय अध्यक्ष पद पर आसीन थे उन्होंने इस पर डिस्कशन अलाऊ किया था और इसके अन्तर्गत सभी ओर से इस पर वाद-विवाद हुआ था और इसका नेचुरल कोन्सीक्वेन्स यह होता है कि जब डिस्कशन शुरू हो जाता है तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर, जो पहले पहल एक माननीय सदस्य ने रख दिया था स्पीकर महोदय का निर्णय हो जाता है। इसलिये निवेदन करूंगा कि वह अपना डिसीजन इस पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर दें पहले, क्योंकि उस समय डिप्टी स्पीकर साहब ने भी इसके लिए यही कहा था कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से दलीलें पेश हैं इसलिये इस प्रश्न की गहराई में जाने की जरूरत है, इस कारण से इस पर निर्णय बाद में दिया जा सकेगा। इस पर आपत्ति भी उठाई गई थी कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की आवश्यकता नहीं है। पर यह बात मान ली गई थी पहले और पोइन्ट ऑफ ऑर्डर भी रेज़ किया हुआ था। इसलिये इस सूरत में डिसीजन तो चेयर की ओर से इस पर होना चाहिये।

श्री शम्भूसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह कई बार प्रश्न सदन में आया था उस वक्त उपाध्यक्ष महोदय ने इस पर अपना निर्णय रिजर्व में रक्खा था।

श्री अध्यक्ष—Past प्रोसीडिंग्ज़ का कोई हवाला मत दीजिये। मैंने वह प्रोसीडिंग अच्छी तरह से देख ली है, और कोई बात उससे अतिरिक्त रह गई हो तो कहिये।

श्री शम्भूसिंह—नेक्स्ट सैशन तब माना जावेगा जब कि पहला सैशन प्रोरोग हो जाता है। अभी वह कन्टीन्यु है इसलिये वह जब तक प्रोरोग नहीं हो जावे तब तक इस पर निर्णय नहीं मांगा जा सकता। दूसरा सैशन जब प्रोरोग होने के बाद हो तब इस पर निर्णय की बात सामने आवेगी। इसलिए सैशन में इसे न लिया जावे।

Page No.23

श्री अध्यक्ष—प्रोरोग की कोई बात नहीं है। एक ही सेशन मान लेते हैं।

श्री श्रीभानसिंह—Last time when this Bill was under consideration a closure was moved that the question be now put. I want to know whether the House is competent to reopen the same question again ?

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय अध्यक्ष, मैं खुलासा चाहूंगा। जब भारत के संविधान में धर्म-निरपेक्ष राज्य की घोषणा हो चुकी है तब धर्म-निरपेक्ष राज्य को मानने वाली राजस्थान विधान सभा को किसी धर्म के सम्बन्ध में इस तरह का कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इस सम्बन्ध में खुलासा किया जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या कोई स्पीच दे रहे हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—धर्म-निरपेक्ष राज्य की जब कोई घोषणा है...

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—What is the point of order. I don't want to hear any speech. If the Hon'ble Member is to raise any point of order, I allow; otherwise the debate is closed.

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं तो आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में खुलासा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—खुलासा करने का भार तो आप मुझ पर छोड़ दीजियेगा।

(हंसी)

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—On a point of order.Sir, the Deputy Speaker on that day had definitely gave a ruling when it was pressed by the Hon'ble Members that the opinion of the House should be taken and he definitly was of the opinion that the opinion of the House cannot be taken and a ruling would be given. If you allow I read relevant portions of the speech. I will finish it within two minutes.

माननीय उपाध्यक्ष ने उस वक्त यह फरमाया था कि मैं जहां तक इस पर विचार करता हूं या और विचारने योग्य है कन्फिलक्टिंग दलील दोनों ओर से आई हैं, और और जगह क्या फेसले हुए हैं इनको स्पीकर साहब और हम ध्यान पूर्वक देख कर ही इसकी जो रुलिंग हो, की स्वीकृति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यह आयन्दा जब प्राइवेट मेम्बर्स का दिन होगा तब दी जायगी।

Page No.24

[श्री जसवन्तसिंह]

इसके आगे माननीय भैरोंसिंहजी ने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया और उनका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह था कि इस सम्बन्ध में स्पीकर साहब और आप विचार करके फिर निर्णय करेंगे; इससे तो बढ़िया यह होगा कि सदन की राय ले ली जाय। अगर सदन मान ले कि यह कान्स्टीट्यूशनल है तो इसे लिया जाय और अगर सदन की राय न हो तो इसे न लिया जाय।

यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उस दिन आया था जो आज उठाया जा रहा है। उस पर उपाध्यक्षजी ने कहा था कि इसमें सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं हैं, रूलिंग तो चेयर से ही दी जाती है।

इसके बाद माननीय गोपीलालजी यादव ने कहा कि

श्री अध्यक्ष—What is the point of order ? I am going to decide It. Don't read it.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—My point of order is that the Dy. Speaker who was occupying the Chair on that day had given a definite ruling. He said that this point cannot be placed before the House.

श्री अध्यक्ष—That is not a ruling, that was an observation. That was an assurance to the House that he will give a ruling.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—That this cannot come before the House for expression of an opinion.

श्री अध्यक्ष—It means the same thing.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It means the same thing. He had definitely said on the point, having been pressed by more than one member that the expression of opinion of the House should be obtained ; the Deputy Speaker, who occupied the Chair, said that it cannot come and that a ruling would be given. Now at this stage, at the eleventh or twelth hour, to say that expression of opinion of the House is forthcoming.

श्री अध्यक्ष—What is the point on which you want the Chair to give its ruling ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The Chair is committed.

Page No.25

श्री अध्यक्ष—I should come nearer to you and would say that the Hon'ble Member wants the Chair to give a ruling whether this Act is ultra-vires of the constitution, whether it is within the scope of the constitution. Is this the point on which the Chair should give a ruling ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—I submit that this point once having been reserved for ruling on the previous occasion...

श्री अध्यक्ष—Which point ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Whether the House should express an opinion over this or not ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य शायद इसको ठीक तरह से समझे नहीं हैं और कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि एडवोकेट जनरल ने यह वैधानिक प्रश्न उठाया कि यह विधेयक, यह बल विचार में नहीं ले सकते क्योंकि यह भारतीय संविधान की धाराओं का उलंघन करता है, कॉन्ट्रावीन करता है और इसके विपरीत, विपक्ष में कतिपय माननीय सदस्यों ने अपनी राय दी थी। प्रश्न सदन के सामने यह आया कि अध्यक्ष की ओर से इस बात की रूलिंग दी जाय कि यह सदन अनुरूप है या संविधान के विपरीत है; यह संविधान का उलंघन करता है तो इसको लिया जाना चाहिए या नहीं ? यह प्रश्न था। उस पर माननीय उपाध्यक्ष, जो उस समय प्रिसाइड कर रहे थे, ने कहा था कि हम कन्सल्ट करके सदन के सामने रूलिंग देंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसके अलावा और पोइन्ट है। पोइन्ट यह है कि यह बहस हुई थी कि इसको हाउस के निर्णय पर छोड़ा जाय कि यह लिया जाय या नहीं। चेयर ने यह कहा था कि निर्णय नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—हाउस क्या निर्णय करेगा ? वोट देने का सवाल तो है नहीं। रूलिंग का मामला है, वोट देने से नहीं होता है। रूलिंग चेयर से होती है या ऑब्जर्वेशन किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है और मैं समझता हूं कि आप भी इसको महसूस करेंगे कि उपाध्यक्ष का यह कहना था कि रूलिंग चेयर से होती है और उसको सदन में सदस्य वोट देकर तय नहीं करते हैं जैसा कि आपलोग समझते हैं। जो युक्तियां माननीय एडवोकेट जनरल ने यहां दी हैं मैं उनको प्रबल नहीं मानता कि अध्यक्ष पद से रूलिंग दे दूं कि यह बिल विधान के विपरीत है, इसको नहीं लेना चाहिए, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरे पक्ष से जो युक्तियां दी गई हैं वे भी इतनी ही प्रबल हैं। विधान सभा का तो यहीं तक कार्य क्षेत्र है कि विधेयक को पास कर देना और उसके सम्बन्ध में इन्टरप्रिटेशन का जो काम है वह ज्युडीशियरी और कोर्ट्स ऑफ लॉ का है। वे अगर उसके विपरीत इन्टरप्रेट करती हैं तो विधान सभा को यह अधिकार है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे क्योंकि यदि कोई संविधान जनमत के विपरीत होता है तो जनमत जिस तरह से चाहता है उसी

[श्री अध्यक्ष]

तरीके से संविधान को अमेंड कर सकता है और उसी तरह से इन्टरप्रेट करने का ज्युडीशियरी और लेजिस्लेचर को अधिकार होगा। अगर माननीय सदस्य ऐसा चाहते हैं कि इस प्रकार की रूलिंग दी जाय तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन्स किये हैं वे स्पष्ट हैं, लेकिन माननीय सदस्य इस बात के लिए चेयर को फोर्स नहीं करेंगे कि जो हाईकोर्ट या जजेज़ का कार्य है वह भी यह चेयर करे। मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेटिव फन्कशन्स के जो प्रिन्सिपल्स डिफाइन्ड हैं उनका इन्टरप्रिटेशन कॉंस्टिट्यूशन नहीं करेगा किन्तु वह तो हाई कोर्ट के लिए रहता है और वही करेगी। तो इस तरह से स्थिति स्पष्ट है और इसमें सन्देह की कोई गुन्जाइश नहीं है। इसको आप चाहें तो विचार में ले लीजियेगा। जैसा सदन का बहुमत होगा निर्णय होगा। अगर यह संविधान के विपरीत है तो इसका निर्णय आप हाईकोर्ट और ज्युडिशियरी पर छोड़िये कि वे क्या फैसला करें।

(प्रस्ताव के समर्थकों द्वारा करतल ध्वनि)

कु.० श्री **जसवन्तसिंह**—मत और ले लीजिये।

श्री **अध्यक्ष**—इस पर मैं सदन के सामने प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान एनिमल एन्ड बर्ड्स सेक्रिफाइसेज़ (एबोलिशन) बिल, १९५२ को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री **तनसिंह**—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इसको विचारार्थ लेने के सम्बन्ध में आपका ध्यान में रूल नं० १२३ की ओर आकृष्ट करूंगा। वह यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव को विचारार्थ लेने के लिए, कन्सीडरेशन के लिए मोशन करेगा तो वह मेम्बर इन्चार्ज होना चाहिए। चूंकि मेम्बर इन्चार्ज प्रेज़ेन्ट नहीं हैं इसलिए यह मोशन आज नहीं रखा जा सकता। आपने यह फरमाया था कि यह बिल कन्सीडरेशन के लिए लिया जाय या नहीं किन्तु कन्सीडरेशन के लिए भी जब तक मेम्बर इन्चार्ज अनुपस्थित रहेंगे तब तक नहीं लिया जा सकता है।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न यह है राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (निरोधक) विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री **तनसिंह**—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर, माननीय अध्यक्ष, अभी आपने जो सवाल पुट किया है, प्रश्न यह है कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाय तो इसका मतलब यह हुआ कि यह मोशन मूव होना है। किन्तु जिन माननीय सदस्य ने इस बिल को प्रस्तुत किया है उनके द्वारा यह मूव होने के बाद में ही यह प्रश्न हो सकता है। वैसे तो यह विचारार्थ कभी का लिया जा चुका है। इसको विचारार्थ लेने के बाद में क्वेश्चन पुट करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है, क्योंकि इस

[श्री तनसिंह]

संबन्ध में पहले काफी डिस्कशन हो चुका है। इसलिये इस पर मत लेना कि यह बिल पहले लिया जा चुका है, मेरी समझ में ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is not clear in his interpretation of the rules. He will kindly be more explicit.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—जो कुछ मैंने आपके वक्तव्य से समझा है वह यह कि आपका कहना है कि जिन माननीय सदस्य ने इस बिल को सदन के सामने प्रस्तुत किया था उन्होंने पिछली तारीखों को इस विधेयक को प्रस्तुत किया था उस वक्त इस पर कई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर होकर आज यह इस स्टेज़ पर आया है। अब इसको विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिये जो मैं प्रश्न रख रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि एक बार इसका कॉन्टीन्युएशन जारी हो गया और विधेयक को प्रस्तुत कर दिया गया तो फिर इसके प्रस्तुत होने के बाद में जो एक तारतम्य चला आ रहा था वह आपके कहने से स्टेज़ खत्म हो गई, अतः वे प्रस्तावक जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है वे ही इस प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ रख सकते हैं।

मेरा इस पर यह कहना है कि इस पर मेम्बर इन्चार्ज की सम्मति होना कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि यह सरकारी बिल तो है नहीं; यह तो प्राइवेट मेम्बर्स बिल है। इसलिए मेम्बर इन्चार्ज के प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी अगर आप और कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठायेंगे तो मैं उसका स्पष्टीकरण करने की कोशिश करूंगा।

मैं यह समझता हूँ कि माननीय सदस्य मेरे इस कथन के उपरान्त सन्तुष्ट हो गये होंगे।

श्री तनसिंह—सन्तुष्ट तो नहीं।

श्री अध्यक्ष—असन्तुष्ट होकर भी सन्तुष्ट हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (निरोधक) विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—'Noes' have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Then the strength we try once more.

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (निरोधक) विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'Noes' are louder.

कुछ माननीय सदस्य—No, sir Ayes are louder.

श्री हिम्मतसिंह अटरू—अगर इस पर हाउस का डिसीज़न पोस्टपोन कर दिया जाय तो ठीक रहेगा क्योंकि हाउस पूरा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—इसको पोस्टपोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—Division is desired ?

('Yes' की ध्वनियें)

(विभाजन घंटी बजते समय)

श्री हिम्मतसिंह अटरू—Is convassing allowed in the House ?

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—जो इसका विरोध करना चाहते थे वे यहां हैं इसलिये इसको पोस्टपोन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—हाउस में जो कन्वेसिंग शुरु हो गया है उसी बेसिस पर इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble member who wants the bill to be carried through will have the liberal heart in allowing any member or any other members once more.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री भैरूंसिंह—जब कि एक दफा हाउस में प्रश्न रख दिया गया है तो उसको डिसाइड करना ही होगा।

श्री अध्यक्ष—(विरोधी दल से) Who want to oppose the bill.

(विराम)

Should it be postponed ?

('No Sir', "No Sir" की ध्वनियें)

I will like if the Leader and the Leader of the Opposition concur.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (सदन के नेता की ओर से)—माननीय अध्यक्षजी, इस बिल के सम्बन्ध में मैं अपनी तरफ से कोई राय जाहिर करना नहीं चाहता, सदन ही इस बात को सोचे और वही इस पर निर्णय ले; पोस्टपोन करने के बारे में ले या इसको पास करने के बारे में ।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—हाउस इस पर एक बार मत दे चुका है ।

श्री अध्यक्ष—The House is all powerful. The House can decide any way.

(विराम)

मैं इसको वोट के लिए रखता हूँ ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (निरोधक) विधेयक विचारार्थ लिया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—'Noes' have it, Sir.

अन्य कुछ माननीय सदस्य—'Ayes' have it, Sir.

श्री अध्यक्ष—Do you want division ?

(विराम)

Page No.30

[श्री अध्यक्ष]

Then I allow it. 'Ayes' in the Ayes Lobby and 'Noes' in the Noes Lobby.

(विभाजन के पश्चात्)

(निस्तब्धता)

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्या सदन में केल्कुलेटिंग मशीन की आवश्यकता पड़ रही है ?

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। अगर थोड़ा समय ज्यादा लगे तो हम लोग भी लोबीज़ में जाकर वापिस आ जावें।

श्री उपाध्यक्ष—यह जो सदस्यों का विचार हो रहा है कि नतीजे की घोषणा करने में देरी क्यों हो रही है, यह एक प्रोसीजर की बात पर विचार हो रहा है, दो तरह के विचार हैं। याददास्त तो ऐसी है कि यह जो बहस है लीव टु इन्ट्रोड्यूस दी बिल की इजाजत मांगने के सम्बन्ध में है। उस पर एक वैधानिक आपत्ति खड़ी की गई और इस बहस की इजाजत दी गई। यह अपने रूल्स ऑफ बिजनेस के नियम ११९ के प्रोसीजर की तहत में आते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रोसीडिंग में जिक्र आया है, उसमें ऐसा लिखा है कि लीव टू इन्ट्रोड्यूस की बात तो रह गई और बिल इन्ट्रोड्यूस कर दिया गया और जो प्रिन्सिपल के डिसकशन्स है, उस पर सम्मति दी गई है। चूंकि दो तरह के विचार पर मत-भेद है इसलिये प्रोसिडिंग्ज़ से यह एसर्टेन किया जा रहा है कि लीव टु इन्ट्रोड्यूस की स्टेज है या कन्सीडरेशन की स्टेज है।

श्री जवानसिंह—On a point of order, Sir, laave to introduce is under Considration.

श्री तनसिंह—An objecti on was raised that in Conseqnuence of the leave

श्री उपाध्यक्ष—अब जो प्रोसिडिंग्ज देखी गई तो ये मेरी याददास्ती के विपरीत है और हम लोगों को इस प्रोसिडिंग्ज़ में जो है उसको ही मेरे ख्याल से ठीक मानना होगा कि लीव टू इन्ट्रोड्यूस दी बिल श्री गोपीलालजी ने प्रस्तुत किया और जो छपा है उसमें यह लिखा गया है 'स्वीकृत'। इसके बाद उन्होंने " I introduce the Bill" इसके बाद में.........

श्री गोपीलाल यादव—अभी जो मोशन हुआ उसमें विचार लेने के सिल-सिले में 'यस' और 'नो' में पूछा गया था। यह तो पहले इन्ट्रोड्यूस हो चुका है। उसके बाद यह हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—जो कन्सीडरेशन स्टेज की शिकायत थी उसकी निवृत्ति की गई है। इसमें जो सम्मिति ली गई है उसके अन्दर उसके पक्ष में ४१ वोट और विरोध में २४ वोट आये हैं।

(विभाजन सूची के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

कन्सीडेशन स्टेज की स्वीकृति दी जाती है।

श्री तनसिंह—क्या यह माना जावे कि इस पर क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ डिस्कशन होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—अब इस पर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन होगा।

श्री तनसिंह—पोइन्ट ऑफ ऑडर, श्री माधोसिंह मेंसवाडा ने मूव किया था इसलिए सदन के सामने विचार के लिये रखा गया। जब विचार किया जा रहा था उसके बीच में कहा था कि आप अपने भाषण को सिर्फ इस बात तक ही सीमित रखें। इसके प्रिन्सिपल्स पर बाद में बहस होगी। इसके प्रिन्सीपल्स पर बहस नहीं हुई है, इसलिये हमें इस पर बोलने का मौका दिया जावे।

श्री कु० जसवन्तसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अगर कोई खास वजह से इस की एक स्टेज को कम किया जाता है तो सोशियल रिफोर्म के कई बिल पर आवेंगे। अगर इस बिल्व कन्सीरेडशन स्टेज नहीं प्रकार रखी जावे तो दूसरें सोशियल रिफोर्म के बिल आवें,उन पर भी यह स्टेज नहीं रखी जानी चाहिये, उनको भी कन्सीडरेशन स्टेज छोड़ कर क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ ले लिया जावेगा समझता कि एक स्टेज़ को क्यों छोड़ा जाता है ? हर एक बिल को तीन स्टेजेज़ होती हैं। पहली को छोड़ कर दूसरी पर एक दम रहुंच जावेंगे तो मैं यह कहूंगा कि यह एक बहुत ही ओब्जेकी-शनेइल बात है और अगर कोई खास वजह से है तो हमें बताई जावे जिसकी वजह से एक स्टेज छोड़ गई है। वरना कोई बिल इस तरह से पास नहीं किया जा सकता। यह हमारा राइट है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसी कई सदस्यों की सम्मति है कि हम लीव इन्ट्रोड्यूस दी बिल पर वैधानिक आपत्ति की गई उसकी बहस कर रहे थे ऐसी याददास्त मेरी भी थी इसीलिए इतनी देर कागजों को देखनेमें और प्रोसि-डिंग्स को देखने में लगी। लेकिन जो प्रोसिडिंग्स है, जो रिटन वर्ड्स हैं वे याददाश्त से भी ज्यादा महत्व के हैं और याददाश्त से ज्यादा माने जाते हैं। उसी दृष्टि से जो छपी हुई रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट के अन्दर यह बात आई है कि उन्होंने लीव मांगी है और आप देख सकते हैं कि उसमें लीव 'स्वीकृत' लिखा हुआ है। उसके बाद यह कहा कि आई इन्ट्रोड्युस दी बिल, यह गोपीलालजी ने तजवीज किया और जहां मोशन मूव हुआ तो प्रिन्सिपल्स डिस्कशन के वक्त में कोन्स्टिटुशनल इश्यू उठाया गया। मैं यह आपको प्रोसिडिंग्स के आधार पर कह रहा हूँ। मेरी स्मृति के अनुसार तो यह लीव इन्ट्रोड्युस पर बहस हो रही है। चूंकि यह प्रोसिडिंग्स लिखि जाती है उस वक्त की याददाश्त हो या चाहे न हो या गलत हो या सही किन्तु इसको सही मानना होगा। ज्यादातर उस समय मैंने ही प्रीसाइड किया था और मेरा भी इम्प्रेशन यही था। किन्तु छपी हुई प्रोसिडिंग्स के देखने से स्पष्ट है कि उस समय प्रिन्सिपल्स के डिस्कशन के अन्दर

[श्री अध्यक्ष]

कोन्स्टिट्युशनल इश्यु खड़ा हुआ और उसके अन्दर यह सारी बहस हो गई और इस बहस के खत्म होने पर जनरल कन्सीड्रेशन पर लीव का यह वोटिंग हुआ है। यह सब मैंने इस प्रोसिडिंग के आधार पर देख कर जो पोजिशन है उसको एक्स्प्लेन किया है। आप और प्रोसिडिंग्स देख कर यदि कोई एतराज की बात इसमें देखते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन जो प्रोसिडिंग्स हैं उनको हमें सही मानना पड़ेगा और प्रोसिडिंग्स के अन्दर इस तरह की बात आ गई है। हम यह मानते रहे हैं कि हम लीव इन्ट्रोड्यूस पर बहस कर रहे हैं। हम यही मानते रहे हैं और उसमें से मैं भी एक हूँ। उसके बाद कागजात को देखने से पता लगा कि कन्सीडेशन के प्रिन्सीपल्स की बात हुई थी। यदि आप फिर भी इसमें कोई एतराज की बात देखते हैं तो उसको बतायें। उसको रिलप ओवर करने का विचार नहीं है। इस पर काफी लम्बे अर्से तक बहस करने दी गई है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मुझे इसमें इतना ही अर्ज करना है कि जब हमने बोलने की कोशिश की तो हमें जनरल कन्सीडेशन पर बोलने नहीं दिया गया। प्रोसिडिंग्ज़ देखें तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन से मौके पर चेयर ने हमको रोका है कि जनरल कन्सीडरेशन पर नहीं बोल सकते हैं, जो वैधानिक आपत्ति खड़ी की गई है उसी पर बोल सकते हैं। प्रोसीन्डिंग देखी जायं तो विदित होगा कि कई जगह चेयर द्वारा सदस्यों को बोलने से बन्द किया गया है कि जनरल कन्सी-डरेशन पर नहीं बोल सकते। इन सब बातों को और विस्तार से देखने के लिए आज की प्रोसिन्डिंग बन्द की जायं; अगर नहीं तो हम यहीं कहेंगे कि यह पोइन्ट साफ नहीं है और न ही साफ करने का हमें मौका दिया गया है। हम यही कहेंगे कि इस डेमोक्रेसी के समय में भी न बोलने देने के लिए हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम जो इसके खिलाफ हैं उनको सुन लिया जाय। इस तरह से हमारा मुंह बन्द कर दिया जाय और हमारे जो राइट्स हैं हमें न दिये जायं, इसके लिए सख्त एतराज हैं। हमें प्रोसिन्डिंग को देखने दिया जाय - उस वक्त हमको न बोलने के लिए कहा गया था कि जनरल डिस्कशन पर इस समय नहीं बोल सकते। अब यह कन्सीडरेशन स्टेज समझी जा सकती है और हमें बोलने का पूरा पूरा राइट है कि कन्सीडरेशन की स्टेज पर हम अपने विचार पेश करें। हमारे साथी सोशियल रिफोर्मर्स के ढंग से आगे चलना चाहते हैं, चल सकते हैं। जो कुछ हमारे रिवाज हैं उनको वे चाहें बदल दें, लेकिन हमें कहने का मौका तो जरूर दिया जाय, विचार व्यक्त करने का अवकाश तो जरूर दिया जाय। हमारा मुंह इस तरह से बन्द करके कॉन्स्टिट्युशनल राइट्स को भी न सुना जाना हमारे साथ एक तरह से अन्याय है।

श्री तनसिंह—तारीख ५, ८. ५४ की प्रोसीन्डिंग्ज़ को आप मुलाहिजा कर लीजिए। माननीय शम्भुसिंहजी एक बार खड़े हुए थे तो चेयर की ओर से यह रूलिंग दिया गया था कि जन-रल प्रिन्पिल्स पर डिस्कशन न किया जाय और जो लीगल अस्पेक्ट्स हैं और जो एडवोकेट जनरल ने कहा है उसी पर कुछ कहना हो तो कहें। तो मैंने यह कहा था कि क्या यह माना जाय कि जनरल

Page No.33

[श्री तनसिंह]

डिस्कशन का मौका न दिया जायगा ? जहां तक मेरी स्मृति है प्रोसिडिंग्ज़ में यह बात आई है और आपने फरमाया था कि इसके बाद जनरल डिस्कशन पर बहस अलाऊ होगी। तो ऐसी हालत में हम और दूसरे सदस्य जो जनरल बहस करना चाहते थे उनको रोक दिया गया। उस वक्त जो अध्यक्ष थे उनकी यह गलत फहमी हो गई। उनकी तो गलतफहमी हो गई किन्तु उनको तो कोई उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें तो नुकसान हो गया। तो इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह गलत फहमी में न रह जाय, हमें अपने अधिकारों से वन्चित नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिए कई सदस्यों का खयाल है कि गलतफहमी हुई है। मैं समझा देता हूं कि इसको (प्रोसीन्डिंग्स को) ठीक तरह से देख लिया जाय और उसके बाद इस पर बहस वापिस की जाय। जितने में और अगला कार्य शुरू किया जाय।

श्री श्यामलाल गोयल—यह सही है कि जहां तक मुझे याद है कि बीच में प्रोसीडिंग्स को रोका गया था इसलिए कि कोन्स्टिट्युशनल पोइन्ट पर बहस की जाय। आज अध्यक्ष महोदय ने यहां आकर जहां तक कोन्स्टिट्युशनल पोइन्ट का सवाल है-उसके लिए निर्णय दे दिया है और उनके निर्णय देने के पश्चात् उन्हीं चीजों को वोट पर रखा है कि क्या यह विचारार्थ लिया जाय ? जो सदस्य गण इस वक्त बोले हैं उनका कर्त्तव्य था कि वह कहते कि हमें प्रिन्सिपल्स ऑफदी बिल पर बोलना है। वह टाइम था जिस वक्त वे अपने राइट्स क्लेम कर सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष—इसलिए तसल्ली के लिए वे प्रोसिडिंग्ज़ देख लें।

श्री गोपीलाल यादव—कितना टाइम माननीय उपाध्यक्षजी उनको दे रहे हैं ?

श्री तनसिंह—Upto the next session.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्षजी, उनको कितना समय दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रोसीडिंग्ज़ को देखने के लिए आप लोग कितना समय चाहते हैं ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—प्रोसिडिंग्ज़ देखने के लिए हम नहीं कह सकते कि कितना समय लग सकता है। प्रोसिडिंग्ज़ देखना कोई मिन्टों के अन्दर तो नहीं होता।

श्री मुक्तिलाल मोदी—ज्यादा से ज्यादा १२ बजे तक। तो फिर इसको आने में ६ महीने और लग जावेंगे। पहले ही देख लिया है, फिर इस तरह से टाइम क्यों खत्म किया जाता है ?

श्री गोपीलाल यादव—मैं समझता हूं कि १५ मिनिट से ज्यादा नहीं लगेंगे। १५ मिनिट दे दीजिये।

श्री जवानसिंह—आवश्यक समय दिया जाय और जो मेरे खयाल से दो घंटे हो सकते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—डिप्टी स्पीकर साहब ही इस कार्यवही को पढ़कर सुना दें तो पांच मिनिट लगेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्ष, आपकी रूलिंग हो गई है; रूलिंग हो जाने के बाद भी क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—रूलिंग के बाद में कुछ नहीं हो रहा है। कुछ माननीय सदस्यों को यह पूरी तरह से पता नहीं कि पहले इस बिल पर बहस हुई थी, वह क्या कान्स्टीट्यूशनल पोइन्ट पर हुई थी या इसके प्रिन्सिपल्स पर। लेकिन जहां तक मुझको याद है कई दफा सदस्यों को यह कहा गया कि वे टेक्निकल और लीगल आस्पैक्ट्स पर ही अपने विचार रखें तो ऐसा इम्प्रेशन यहां अचानक बन गया कि ऐसी बात नहीं। कोई टेक्निकल गलती रह गई हो दोनों तरफ से, कोई ऐसी बात जरूर है, जिसके लिए तसल्ली कर लेना आवश्यक है। कई वर्षों तक पशु-पक्षियों की बली होती रही, उससे कोई हानि नहीं हुई तो कुछ समय के लिए और रुकने से कोई हानि होने वाली नहीं है। इनको प्रोसीडिंग्ज़ देख लेने दीजिये, ताकि इनको तसल्ली हो जायगी; यही ज्यादा उपयुक्त चीज़ है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बिल के पक्ष में जितने भी बोलने वाले हैं उन्होंने इस हाउस में इस बिल पर वैधानिक बातों पर ही प्रकाश डाला है। हो सकता है, उसमें किसी ने इस बिल के प्रेन्सिपल पर भी कुछ कह दिया हो किन्तु जहां तक मुझे याद है केवल कोन्स्टिट्यूसनल पोइन्टस पर ही विचार किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—यही मेरा भी खयाल है।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—जनरल प्रिन्सिपल्स पर डिस्कशन होना बाकी है, इसलिए जनरल डिस्कशन पर समय दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—इसीलिए समय दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं०१६)—उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तय करने के लिए कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय, इस हाउस का जो मत लिया गया था वह कन्सीडरेशन की स्टेज़ थी। वही स्टेज़ इस बिल के इन्ट्रोडक्शन और कन्सीडरेशन की थी। मत व्यक्त करने के बाद में उपाध्यक्ष महोदय, कन्सीडरेशन के लिए दुबारा सदन की राय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस

[श्री भैंरूसिंह]

तरह से कन्सीडरेशन की स्टेज पास हो चुकी है इसलिए इस बात का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि प्रोसीडिंग को देखकर यह तय किया जाय कि यह बिल विचारार्थ लिया जाय या नहीं। जब कि इसके विचारार्थ लिये जाने के लिए मत लिए जा चुके है तो इसके लिए समय देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, भाग्यवश वह भाग मुझे मिल गया है जिस पर इस सदन में बहस हुई थी; मैं आपकी आज्ञा से प्रोसीडिंग का वह भाग पढ़कर सुनाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—कॉन्स्टीट्यूशनल बहस पर इजाजत हो जाय तो फिर आम डिस्कशन होगा। इस वक्त इसको कॉन्स्टीट्यूशनली क्या, इसके आसपेक्ट हैं, इस पर बहस होगी। इजाजत होनी चाहिए या नहीं, इस पर बाद में बहस होगी।

श्री भैरोंसिंह—रिलीजियस पोइन्ट पर बोल सकते हैं। यह कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, कोन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट पर ही बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—जहां तक हो इसको अवोइड करना चाहिए। यह जनरल डिस्कशन नहीं है।

रावत श्री शम्भूसिंह—तो मुझे बोलने का मौका फिर दिया जायगा कि रिलीजियस, इकोनोमिकल आदि आस्पेक्ट्स पर फिर अपने विचार रख सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—दिया जायगा।

रावत श्री शम्भूसिंह—चूंकि यह बिल कॉन्स्टीट्यूशन को वायोलेट करने वाला है, अल्ट्रावायर्स है इसलिये मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा बिल स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब जबभी इस पोइन्ट पर, इसके मेरिट्स पर हमने बोलने का प्रयास किया, चेअर ने हमको रोका है उन्होंनेकहा कि पहले इसके कॉन्स्टीटयूशनल पोइन्ट पर विचार होगा, फिर इसके मेरिट्स पर बोलने का मौका दिया जायगा। इसके बाद मैं यह समझता हूं, यह लाजिमी हो जाता है कि कन्सीडरेशन की स्टेज जो इसकी आने वाली है, इसलिये इस पर बहस होना लाजिमी है।

श्री जवानसिंह—यह तो एक ही एग्ज़ाम्पल कोट किया गया है। अगर कुछ समय दया जाय तो दो चार एग्ज़ाम्पल्स और सदन के सामने रखे जा सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—इन एग्ज़ाम्पल्स से कोई मतलब नहीं। ये तो मिस अन्डरस्टैन्डिंग पैदा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये आपको, अभी १० बजे हैं, डेढ़ घन्टे का समय देता हूं; ताकि आप सब प्रोसीडिंग्ज़ को देख कर बता सकें। इतनी देर के लिये दूसरी प्रोसीडिंग्ज़ ली जायंगीं।

एक माननीय सदस्य—पहले जिसके लिये वोट लिया गया उसका क्या हुआ!

श्री श्रीभानसिंह—This point is not disputted by the House that there may be general discussion on it in the House. Even if the proceedings say that there was a discussion on the principles, the proceedings be superseded and let us have discussion on the Bill, Sir. That half-an-hour can be utilized more by discussing than going through the proceedings.

श्री गोपीलाल यादव—आगे इस पर डिस्कशन चलने दिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह—हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय तो ठीक है।

श्री श्यामलाल गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उन पर दुबारा डिस्कशन के लिये इजाजत दी जाय या नहीं, इसके लिए आपने डेढ़ घन्टे का टाइम दिया है; जब तक वे इस डिस्प्यूटेड पोइन्ट को देखें तब तक इस पर जनरल डिस्कशन हो जाय तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—अगर हाउस जनरल डिस्कशन के लिये सहमत हो तो यह बहस यहीं खत्म हो जाती है।

(सदन ने सामान्य वाद-विवाद के लिये सहमति प्रदान की)

श्री उपाध्यक्ष—ऑपोज़िशन के सदस्य जनरल डिस्कशन के लिये जो पोइन्ट्स देख रहे हैं उनको अब देखने की आवश्यकता नहीं रही है। हाउस की यह सहमति है कि इस पर जनरल डिस्कशन चालू करने दिया जाय। ऐसी सूरत में अब डेढ़ घन्टे का समय देने की आवश्यकता नहीं रहती। लोबीज़ में जो सदस्य गये हुए हैं उनमें से जो भाषण देना चाहें जनरल डिस्कशन पर वे आकर बोल सकते हैं।

रावत श्री शम्भूसिंह—वे जो भी बोलें सब इजाजत होगी।

श्री मानसिंह महार—इनके लिए टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष—हाउस ने एग्री कर लिया है कि जनरल डिस्कशन में हमें कोई एतराज नहीं है इसलिये यह विवाद खत्म हो गया। इसलिये जनरल डिस्कशन प्रारम्भ किया जावे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, I want to speak on a point of order. I don't understand what the world at large will think of the proceedings that we are conducting in this House where five minutes ago a decision was given in the House that we should be given 1½ hour for the purpose of looking into the proceedings and when we go the next room another decision has been taken by which that one and a half hour has been taken back and general discussion has been allowed. We are prepared to speak for two hours but I would respectfully submit that if the dicisions are altered...

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि लैपिंग का सवाल नहीं है यह। यह तो आपके एतराजों का ख्याल करके जो इसके विरोध में सदस्य थे, स्वीकृति दी गई है, जनरल डिस्कशन की। आप इस पर जनरल डिस्कशन करना चाहते थे और दूसरे पक्ष को भी इसमें कोई एतराज नहीं है और इस तरह से सदन से मैंने महसूस किया कि वे सभी आम सम्मत हैं। मूवर की भी इसमें कोई रुकावट नहीं थी तो एक बार वैसा निर्णय कर देने के बाद भी जब मैंने सदन की यह आम सम्मति देखी तो जनरल डिस्कशन की स्वीकृति मैंने दे दी कि अगर इस पर डिस्कशन से कोई गलतफहमी हो तो इसका फायदा आपको दिया जावे।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—हाउस के भी अब दो-दो मुंह हो गये; यह समझ में नहीं आता। पहले तो रोका गया और अब कहते हैं जनरल डिस्कशन की स्वीकृति है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह तो आपके साथ अन्याय है शायद?

श्री उपाध्यक्ष—यह ऐतराज की बात नहीं है। उस ऐतराज को जो पहले किया गया था वेव कर दिया गया है। यह तो आपके लिए मुफीद साबित हुआ है। इस पर अगर आप यह सोचते हैं कि यह भी गलत है तो मेरे ख्याल से यह तो उचित नहीं है।

श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गोपीलालजी यादव ने एक इसी बिल को हाउस में इन्ट्रोड्यूस करने के वास्ते इजाजत मांगी थी उस वक्त एडवोकेट जनरल की सम्मति इस पर ली गई थी....

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, अब इस बहस में उतरने की आवश्यकता नहीं है। यह सवाल तो वोटिंग होकर तय हो गया है। अब तो जो बातें बिल में आपको अनुकूल या प्रतिकूल लगें या जो उसूल की या सिद्धान्त की बातें हों जनरली, वही आप सिर्फ कहिये; अब कॉन्स्टीट्यूशनल इश्यू का सवाल हट गया। यह बिल अब इन्ट्रोडयूस हो गया है और वाद-विवाद करने की भी बात मानली

[श्री उपाध्यक्ष]

गई है। अब तो जनरल डिस्कशन की स्टेज आई है और कोई सदस्य अब कहना चाहें इस पर यह उनके लिए मान लिया जावे कि उनको यह सब कहने की इजाजत है।

श्री शम्भूसिंह—मैं जनरल डिस्कशन के सिलसिले में ही इसका सम्बन्ध बताने के लिए यह कह रहा था। कॉन्स्टीट्युशन से भी इसको रिजेक्ट करने के वास्ते मैं निवेदन करूंगा। इसलिये मैं अब जनरल डिस्कशन के सिलसिले में अपना निवेदन प्रारम्भ करूं. इससे पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मेरी तीन आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति यह कि यह बिल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये कि इसमें वैधानिक क्लॉज़ हैं। इससे दूसरा कोई इकोनॉमिकल पर्पज़ सर्व नहीं होता और तीसरा इस बिल से लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ आघात का प्रश्न उठता ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जरूरत इस प्रकार के कानून बनाने की है कि जिससे देश की आर्थिक स्थिति अधिक से अधिक सुधरे, देश के विभिन्न धर्मावलम्बियों में समन्वय बना रहे और किसी प्रकार का भेदभाव उनमें न बढ़े; परन्तु दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की बातें आज हमारे सामने आ रही हैं कि जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली, राजस्थान के विभिन्न वर्गों में घृणा और रोष फैलाने वाली और इस प्रकार की भेदभावमूलक नीति को अपनाने वाली और आर्थिक दृष्टि से सर्वथा निकम्मी है।

हाउस में जब यह प्रश्न आया था उस समय मैंने निवेदन किया था कि हमारे कॉन्स्टीट्युशन के अनुच्छेद के अनुसार समानता का जो आधार है, हमारी उपासना की स्वतन्त्रता का जो आधार है, उस पर यह कुठाराघात करने वाला है। इस सम्बन्ध में मैं विशेष निवेदन नहीं करना चाहता हूं, केवल इतना ही निवेदन कर सन्तोष कर लूंगा कि यह आर्टिकल २५ के अनुसार इसके विपरीत होने से हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचाने वाला है।

इसके अलावा यह आर्टिकल १४ के अनुसार भेद-भाव मूलक भी है। अतः मैं इसमें विशेष न उतर कर ...

श्री उपाध्यक्ष—अब इस पर बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है इसलिये वैधानिक बात तो नहीं कही जावे और जो सदस्य इसको जल्दी पास करना चाहते हैं, यह जल्दी हो जावे ऐसा हमें करना चाहिये, तो इस पोइन्ट पर अब न बोल कर इस पर जनरल जो आपको ऐतराज हों उन पर बोलें तो अगले क्लॉज़ेज़ पर कन्सीडर करना शुरु किया जा सकता है।

श्री शम्भूसिंह—तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह बिल इस वास्ते निकम्मा है और पास करने योग्य नहीं है जैसा कि मेरा अनुमान है। अब यह इन्ट्रोड्यूस हो गया तो क्या हो गया?

[श्री शम्भूसिंह]

कन्सीडरेशन की स्टेज आ रही है और यह सदन के हाथ में है कि ऐसा बिल पास करे या न करे; तो इस वास्ते ऐसा बिल पास न करने के समर्थन में मैं युक्तियाँ पेश कर रहा हूं और हाउस को इसके वास्ते कन्विन्स कर देना चाहता हूं कि हाउस इस बिल को पास न होने दे। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह बिल हमारी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचाने वाला है।

शास्त्रों में इसका बहुत साफ जिक्र है कि शक्ति की पूजा करने वाले, हिन्दुओं में शक्ति की पूजा इस प्रकार भी की जाती है, कि जिसमें यह आवश्यक है कि वे अपनी पूजा के सम्बन्ध में बलिदान करें और अपनी पूजा की रस्म को पूरे रूप में अदा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कई धर्मशास्त्रों के अवतरण आपके सन्मुख उपस्थित करना चाहता हूं। दुर्गा सप्तशती तो सनातन धर्मी हिन्दुओं का और विशेष कर शक्तिपूजा के अनुयायियों का ग्रन्थ है। इसके अध्याय १२ में स्पष्ट वर्णन है। इसके श्लोक बीसवें और श्लोक दसवें में यह है कि :

"बलिप्रदाने पूजायांभग्निकार्ये महोत्सवे ।
सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च ॥ १० ॥

तो इसमें साफ बलिदान की व्यवस्था है। इसके बाद श्लोक २० में इस प्रकार है :

"सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् ।
पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमै : ॥ २० ॥"

तो बलिदान किसका होगा ? इस बीसवें श्लोक में इसे स्पष्ट कर दिया है; पशु का बलिदान करके और शक्ति को सन्तुष्ट करे। शक्ति की उपासना हमारे धार्मिक विश्वास के अनुकूल करने का हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है, स्पष्ट विधान है कि :

"पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च ।"

पशु का बलिदान करके शक्ति की उपासना करो। तो इसमें यह कैसे हो सकता है कि हमारी पूजा का जो धार्मिक विधान है उससे हम वंचित कर दिये जावें।

यह तो हमारे धार्मिक अधिकारों पर स्पष्ट कुठाराघात होगा। तो इस प्रकार कर्मकाण्डी हिन्दू जनता को अपनी धार्मिक उपासना से विमुख करना; यह प्रयत्न कदापि श्रेयस्कर या प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता।

[श्री शम्भूसिंह]

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक विचित्र बात है कि अगर हिंसा को रोकने के वास्ते ही यह बिल प्रस्तुत किया जाता तो वह बात दूसरी थी, मगर मैं देखता हूँ कि इस बिल में हिंसा को रोकने के वास्ते कोई प्रावधान नहीं है, केवल हिन्दू जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्रों में यहां तक कहा है कि पूजा के निमित्त बलिदान करना तो आवश्यक है, परन्तु शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि जो कुछ भी पकाया जावे वह यज्ञ के निमित्त ही पकाना चाहिए, केवल उदर पूर्ति के लिए पकाना नहीं चाहिए। इसके वास्ते श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ —

"यज्ञ शिष्टा शिनः सन्तो मुच्यते सर्व किल्बिषैः।
भुञ्जते ते त्वधं पापाये पचयन्त्यात्म कारणात्॥" (अध्याय ३ श्लोक १३)

इसका भावार्थ यह है कि यज्ञ के नाम पर खाने वाले सब पापों से छूट जाते है और पापी लोग अपने शरीर के लिए ही पकाते हैं। यह पाप को ही खाते हैं। सभी यहां बलिदान और पूजा के नाम पर होना चाहिए। बरखिलाफ इसके हम हमारे अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार स्लॉटर करते रहें और पूजा के निमित्त बलिदान करते हैं तो उसके निमित्ति रोक लगाई जाय। यह कैसी विपरीत बात है। स्लॉटर केवल पूजा के निमित ही किये जा सकते हैं, अन्यथा स्लॉटर होने ही नहीं चाहिए ऐसा सिद्धान्त है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस बात से क्या पर्पज सर्व होता है, यह कम से कम मैं तो नहीं समझ सका।

अब हम इस बिल के प्रिएम्बल की तरफ देखते हैं तो इसमें लिखा है कि —

Whereas it is expedient to provide for the prohibition of animal and bird crifices in connection with certain places of worship or in the name of certain deities or otherwise."

इसका उद्देश्य क्या है, आब्जेक्ट क्या है? इकोनोमिक है या रिलीजियस है, कुछ समझ में नहीं आता। यकायक, एट रेन्डम (at raduom) इस पर रोक लगा देना चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्टस में लिखा है कि —

"The practice of sacrificing animals or birds in the name of a deity is still prevalent in some parts of the State of Rajasthan. In some of the integrating units it was abolished by law or by the pressure of public opinion, which is steadily growing in favour of its total abolition in all parts of Rajasthan. This practice is most undesirable from both the points of view-humanitarian as well as economic"

[श्री शंभूसिंह]

इसमें 'इकोनामिक' शब्द आया है, 'ह्यूमेनिटेरियन' शब्द आया है । अब हमें ह्यूमेनिटेरियन' प्वाइन्ट ऑफ व्यू से विचार करना है । यह मानवता के दृष्टिकोण से प्रेक्टिस है बलिदान की कि यज्ञ में पकाया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे धार्मिक शास्त्र गीता में तो यहांतक कहा है कि जो कुछ पकाया जाय वह केवल यज्ञ के लिये ही पकाया जाय । तो उसके अलावा हम पूजा के वास्ते बलिदान करते हैं और हमारे खाने के वास्ते किसी प्रकारका बलिदान नहीं करते हैं । तो मानवता के विपरीत कैसे होता है ? कम से कम मैं तो यह नहीं समझ सका । यह मनुष्य की भावना, धार्मिक भावना को यह कैसे ठेस पहुंचाने वाला है । सनातनी तो क्या, जो भी यहां के नागरिक हैं वे अपने अपने विश्वास के अनुसार पूजा करने को सर्वथा स्वतन्त्र हैं । मुस्लिम भाई अपने विश्वास के अनुसार कुर्बानी करते हैं, हिन्दू भाई अपने विश्वास के अनुसार अपने देवताओं के सम्मुख बलिदान करते हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है ? मानवता के खिलाफ यह कैसे है ? क्या मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का बलात्कार करके जबरदस्ती से कोई काम किया जा रहा है ? क्या यह मनुष्य के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है ? मैं समझता हूं कि यह कदापि किसी के खिलाफ नहीं है । हां यह जरूर है कि इस बिल को पास करके हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला तो यह जरूर है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जब हम देखते हैं कि यह किसी की फीलिंग को भी ठेस नहीं पहुंचाता है । हमारे विश्वास के अनुसार उपासना करते हैं । दूसरे वर्ग के लोग उनके विश्वास के अनुसार उपासना करते रहे हैं । हमें किसी प्रकार का एतराज नहीं है, उसी प्रकार दूसरे वर्ग को भी किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पास होने से तो यह मानवता के खिलाफ होगा, न कि इस बिल के पास नहीं होने से ।

दूसरा उन्होंने स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में 'इकानोमिकल' शब्द लिखा है, जिसमें देखना है कि केवल बलिदान के द्वारा ही पशुवध से इकोनोमिकल पर्पज कैसे सर्व हो सकता है जब कि स्लॉटर हाउसेज में सैकड़ों और हजारों की तादाद में पशुओं का वध होता है और उसके वास्ते किसी प्रकार की आवाज उठाई नहीं जाती; यानी एनिमल स्लॉटर को एकदम बन्द किया जाता तो अलबत्ता यह समझा जा सकता था कि यह इकोनोमिकल पर्पज को सर्व करता है; लेकिन ऐसी व्यवस्था तो इस बिल में है नहीं। इस बिल के द्वारा केवल उपासना में बलिदान के द्वारा पशुओं के वध को बन्द करने की व्यवस्था की गई है । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हू कि 'इकॉनोमिकली' तो यह बिल कदापि फिट नहीं है । इसके अलावा बकरे, मेड़े आदि जो पशु हैं उनकी कोई उपयोगिता नहीं है । हमारा देश कृषि प्रधान देश होने से हमारे यहां गौ वंश की उपयोगिता है । गौ हमारी माता है । हम उसकी पूजा करते हैं । गौ वंश के विपरीत यदि कोई कार्य करते हैं तो कदापि सहन नहीं कर सकते । परन्तु मैं देखता हूँ कि गौ वंश के बचाव के वास्ते किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया जाता है; केवल ऐसे पशुओं के बचाव के लिए जो कि सोम्पल अनुपयुक्त पशु हैं, यदि ऐसे पशुओं का बलिदान नहीं किया जाय, तो फिर ऐसे पशुओं का उपयोग ही क्या हो सकता है ? मैं समझता

[श्री शंभूसिंह]

हूँ कि जिस प्रकार स्लॉटर हाउसेज़ में हमारे देश में अन्न की कमी होने की वजह से बकरे इत्यादि को कटान में देकर हमारे देश में खाद्यान्न की पूर्ति कर लेते हैं उसी प्रकार हम बलिदान के द्वारा खाद्यान्न से स्वतन्त्र होकर हमारे देवताओं के सम्मुख बलिदान करते हैं। तो अन-इकोनोमिक यह कैसे है ? अनुपयोगी पशुओं के बध के ऊपर यदि रोक लगा दी जाय तो वह अन-इकोनोमिकल होगा। तो यह जो युक्ति दी गई कि यह 'इकोनोमिकल' है तो यह बिल कदापि इकोनोमिकल नहीं कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल पशुओं की जान बचाना ही वांछनीय है तो फिर दूसरे प्रकार से स्लॉटर हाउसेज में जो पशु स्लॉटर हो रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का बन्धन नही लगाया जाता और केवल उपासना में ही पशुओं के बलिदान को रोका जाना, यह बुद्धि में बैठने वाली चीज़ नहीं है।

यदि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना इस बिल का उद्देश्य है तो यह बात अलग है। वर्ना कम से कम मैं तो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि किसी इकॉनोमिकल दृष्टि से यह बिल लागू हो। इस बिल के ऊपर मैं अपने जनरल डिस्कशन में जो विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, इसके बाद मुझे अवसर मिलेगा कि क्यों मैंने इस बिल में एमेंडमेंट रखे हैं और जो मेरे एमेन्डमेन्ट्स हों वह इस बिल को वास्तव में 'इकोनोमिकल' बनाने के योग्य हैं। उन पर फिर विस्तार के साथ आपसे निवेदन करूंगा। तो जनरल डिस्कशन के सिल-सिले में, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यही निवेदन करना है कि इस बिल को 'इकोनोमिक' दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त समझा जाय, जैसा कि इस सदन में बहुत से सदस्यों का विश्वास है और मैं समझा हूं कि कोई किसी प्रकार का हठ करे तो यह बात अलग है, वर्ना कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार के बिल का विरोध न किया जाय और इस प्रकार के बिल को पास करें।

सदन में यकायक पंखा गिरने पर वाद-विवाद

(ट्रेज़री बेन्चेज़ के पास रखे हुए स्टैंड फेन के यकायक गिर जाने से सदन में एक मिनिट के लिए हड़बड़ाहट)

श्री उपाध्यक्ष—सब पंखों को जांच कर लेनी चाहिये।

कु० श्री **जसवन्तसिंह**—इनको रिमूव हो क्यों नहीं करवा दिया जाय ?

श्री **उपाध्यक्ष**—जो कोई भी सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहें जल्दी से बोलें।

श्री शंभूसिंह—मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के पंखों को हटा देना चाहिये। संभव है, भविष्य में भी ऐसी घटना हो जाय।

Page No.43

एक माननीय सदस्य—आपके ऊपर नहीं गिरेगा ।

श्री शंभूसिंह—इस प्रकार के पंखों द्वारा मनुष्य का बलिदान करना चाहते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—आपको इस पर जो कुछ कहना है जोर से कहिये ।

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (निरोधक) विधेयक, १९५२

(विचार-विमर्श, क्रम में)

श्री शंभूसिंह—स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स में आगे कहा गया है : "ह्यूमेनिटेरियन" के बाद में ये वर्ड्स हैं : "humanitarian as well as economic. It is, thereefore, the duty of the society to stop cruelty to animals as well as to prevent the destruc of the animal wealth by law." अब हमें यह देखना है कि ह्यूमेनिटेरियन और इकोनोमिक यानी मानवता और आर्थिक दृष्टि से तो यह बिल कसौटी पर खरा नहीं उतरता और किसी काम का नहीं रहता । अब हम यह देखते हैं कि सोसाइटी का यह कर्तव्य होता है, जैसा कि ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में लिखा गया है कि पशुओं के साथ की जानेवाली बुराई को रोका जाय और "to prevent that destruction of animals by law." पशुधन के नाश को कानून द्वारा रोका जाय, यह कहा गया है । अब हमें यह देखना है कि पशुओं के साथ क्रुअल्टी क्या होती है ? जिसको हम रोकना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, सारे बिल को देखने पर भी मुझे यह कहीं नहीं दिखाई दिया कि बलिदान में किसी प्रकार की क्रुअल्टी होती है । फिर उसको रोकने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? इस वास्ते मैं समझता हूँ कि प्रस्तावक या बिल को पेश करनेवाले स्वयं स्वीकार करते हैं कि बलिदान में किसी प्रकार की क्रुअल्टी नहीं होती है बल्कि हमारे विश्वास के अनुसार यह कह सकते हैं कि पशु एक भोग-योनि का जीव है और मनुष्य कई योनि का पशु, अपने जीवन में कोई सुकृत या अच्छा कार्य करके इस जीवन से छुटकारा नहीं पा सकता । इसलिये उसको ऊंची योनि दिलाने के लिये या उसको ऊंचा दर्जा दिलाने के वास्ते क्या जरिया रह जाता है । हम यह समझते हैं कि ऐसे भोग-योनि के वर्स्ट जीव किसी प्रकार का सुकृत करके अपने जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकते । उनके वास्ते यह ठीक जरिया है कि उनको हम देवताओं के सामने बलिदान करके उनके जीवन को ऊंचा उठाने का मौका देते हैं । इसके सिवाय ऐसे जीवों को ऊंचा उठाने का कोई मौका ही नहीं आता । मनुष्य कर्म योनि का है इसलिये वह यज्ञ, दान आदि सुकृत करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है, लेकिन पशु केवल भोग-योनि का होने से किसी प्रकार का सुकृत नहीं कर सकता । इसलिये उसको हम ऊंचा उठाने में यही सहायता दे सकते हैं कि हम देवताओं के सम्मुख उसका बलिदान करें और उसका सबसे बड़ा सदुपयोग यही होगा कि वह देवताओं के निमित्त काम में आवे और इस प्रकार इस जीव को ऊंचा उठने और स्वर्ग प्राप्ति का अवसर होवे तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि यह किसी प्रकार की क्रुअल्टी है । यह तो बलिदान वाले पशु के सामने बहुत अच्छी बात होती है कि उसको छुटकारा दिलाने के लिये हम उसका बलिदान करके उसको स्वर्ग प्राप्ति का मौका देते हैं, जैसे हमारे धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन है । यह दूसरी बात है कि पश्चिमी सभ्यता के व्यक्ति धर्म शास्त्रों में विश्वास नहीं करें,

[श्री शंभूसिंह]

उन्हें बात बताने के लिये उसका जवाब दिया जा नहीं सकता; चाहे धर्म शास्त्र में या स्मृतियों में कुछ भी हो। वे कहते है कि हम नहीं मानेंगे और जो हम ठीक समझते हैं वही करेंगे। उसका तो इलाज नहीं है, वर्ना बलिदान से अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। तो क्रुअल्टी का इसमें कोई प्रश्न रह नहीं जाता। तो हमने ऑब्जेक्ट्स से आगे बढ़कर विचार कर लिया। ह्युमेनिटेरियन व्यू से यह सिद्ध हो गया कि इसमें इनह्युमेनिटी की कोई बात नहीं है। इसमें इकोनोमिकल पर्पज़ का भी कोई सवाल नहीं होता और क्रअल्टी का तो कोई सवाल है ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद यह बात आई है कि एनिमल वेल्थ के डेस्ट्रक्शन को रोकना। उपाध्यक्ष महोदय, एनिमल वेल्थ भारतवर्ष में जरूरी है और एनिमल वेल्थ के डेस्ट्रक्शन को रोकना चाहिये। भारतवर्ष में जो उपयोगी पशु हैं, उनके आधार से ही हमारा जीवन यापन होता है, गौ वंश के आधार पर हमारा जीवन-यापन होता है। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। गौ वंश का हमारे यहां सदा से सम्मान और पूजा होती रहती है, उनकी रक्षा करने के लिये हम अपना सर्वस्व देने के लिये तैयार रहते हैं। गौ वंश को किसी भी प्रकार से हानि पहुँचाना धार्मिक दृष्टि से बहुत ही बुरी बात है लेकिन एनिमल वेल्थ की दृष्टि से भी गौवंश बहुत बड़ी चीज है और हम भारतवासियों का यह पवित्र कर्त्तव्य है कि इस उपयोगी एनिमल वेल्थ का डेस्ट्रक्शन किसी भी प्रकार से नहीं होने दें। लेकिन बलिदान में जो बकरे या मेंडे चढाये जाते हैं वे सर्वथा निरुपयोगी पशु हैं।

इनके बलिदान से एनिमल वैल्थ का डेस्ट्रक्शन कैसे होता है, यह मैं नहीं समझ सकता। मैं तो यह महसूस करता हूं कि यदि ऐसे निरुपयोगी पशु इस तरह से हमारे देश में उपयोग में नहीं लाये गये; जिनका कि केवल यही एक उपयोग है कि उनको बलि के लिये काम में लायें, यों यदि काम में नहीं लाया गया तो यह इतने बढ़ सकते हैं कि यह हमारे लिये एक समस्या हो सकती है, क्योंकि इनका उपयोग और कुछ तो है नहीं। इनको फीड करना असंभव हो जायगा। एनिमल वैल्थ की केटेगेरी में तो वे आते ही नहीं हैं, फिर इनके प्रिज़र्वेशन का और डेस्ट्रक्शन को रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

तो माननीय उपाध्यक्ष, यह एनिमल वैल्थ के डेस्ट्रक्शन को रोकने का साधन कैसे माना जावे और फिर वह भी लिमिटेड सर्टेन नम्बर ऑफ एनिमल्स का। यह तो उन पशुओं के साथ उपकार है। अगर ऐसे पशुओं को एनिमल वेल्थ मान लिया जावे तो उनका डेस्ट्रक्शन जो बूचर हाउस में हो रहा है, उसको रोकने के लिये तो चूं तक नहीं की जाती। तो इससे जाहिर है कि यह जानवर एनिमल वैल्थ में नहीं आते इसीलिये बूचर हाउसेज़ में इन्हें काटा जाता है और इन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती। इसके विपरीत होता यह है कि इनको उपयोग में लाया जाता है, काम में लाया जाता है और हमारे यहां की जो खाद्य समस्या है उसको पूरा करने के लिये इनको

[श्री शंभूसिंह]

काम में लाया जाता है । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि एनिमल वैल्थ के डेस्ट्रक्शन को रोकने के लिये जो इसके ओब्जेक्ट में लिखा है, वह भ्रान्ति डालने वाला है क्योंकि पशुओं की बलि को रोकने मात्र से हम एनिमल वैल्थ के डेस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकते और न यह एनीमल वैल्थ है ही।

यह तो धर्म-प्राण हिन्दू जाति की भावना को ठेस पहुँचाने के लिये और हिन्दू जाति में आपस में घृणा और हैट्रेड फैलाने की चाल है। इस बिल के पीछे जरूर हिन्दू जाति में, आपस में घृणा फैलाने की चाल चली जा रही है, जो हमारे यहां के नागरिकों में आपस में द्वेष पैदा कर देगी।

तो इस तरह ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जो यह दिया गया है कि ह्युमेनिटेरियन के लिये यह बिल लाया जा रहा है, क्रुअल्टी टू एनिमल्स को रोकने के लिये व एनिमल वैल्थ के डेस्ट्रक्शन को रोकने के लिये और आर्थिक उन्नति की दृष्टि से इसे लाया जा रहा है, तो यह चारों ही बातें इससे पूरी नहीं होती। इसलिये मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के निरूपयोगी बिल को मेरे मित्र कदापि पास नहीं होने देंगे।

श्री महादेवलाल बंका—माननीय उपाध्यक्ष, पशु बलि निरोधक बिल सदन के समक्ष है। दो विरोधी विचार-धाराएं सदन में माननीय सदस्यों ने रखीं। मैं भी अपने विचार इस पर सदन के सामने रखना चाहता हूं।

हमारा देश प्राचीन काल से अहिंसा का पुजारी रहा है और यही कारण है कि अब तक जितनी महान् आत्माएं हमारे देश में हुई हैं उन्होंने अहिंसा का सहारा लेकर ही बड़े बड़े कार्य किये हैं। राजा शिवि के नाम को याद कीजिये, एक कबूतर की रक्षा के लिये उन्होंने अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी और महावीर स्वामी आदि जितने हुए हैं, उन्होंने अहिंसा को प्रधान माना है। जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक मैंने धर्म के बारे में सुना है, मैं समझता हूं कि दुनियां की कोई भी महान आत्मा ऐसी नहीं जिसने कि अहिंसा का समर्थन नहीं किया हो। आज तक इस संसार में बहुत से धर्म बने और बिगड़े, परन्तु अभी तक हिन्दू धर्म वैसा का वैसा मौजूद है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में जितनी महान् आत्माएं हुई हैं, उन्होंने अहिंसा को प्रधान माना है। इसीलिये हिन्दू धर्म आज तक जीवित है। यदि अहिंसा का सिद्धान्त हिन्दुत्व में नहीं होता तो न मालूम हिन्दू धर्म की क्या हालत होती।

श्री वेदव्यास ने भी अहिंसा को लेकर १८ पुराण लिखे हैं, उन्होंने साफ कहा है :

"अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्।
'परोपकार: पुण्याय, पापाय परपीडनम्' ॥"

[श्री महादेव लाल बंका]

उन्होंने साफ बताया है कि कष्ट मात्र पहुँचाना भी महान् पाप है, तो फिर पशुओं को बलि करना तो कहां तक ठीक हो सकता है ? हमारे धर्मों के जितने अवतार हुए हैं, उन्होंने पशु-बलि को बुरा बताया है तो फिर समझ में नहीं आता कि धर्म के नाम पर पशु-बलि करना कहां तक ठीक है। भगवान् के पवित्र मन्दिर के सामने पशुओं का खून बहाना, बलि देना और इस पवित्र स्थान को अपवित्र करना भगवान के नाम को कलंकित करना है, तथा पवित्र मन्दिर को कसाई खाना बनाना है।

अतः मैं इस बिल का पूरा पूरा समर्थन करता हूं और सदन से प्रार्थना हूं कि इस बिल को पास करके कानून का रूप दिया जाय।

श्री नाथोसिंह (भैंसवाड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष, आज एक ऐसा सवाल हमारे सदन के सामने पेश हुआ है, जिससे कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म में हस्तक्षेप करने लग गये हैं और इस सदन के सदस्यों को उभार कर वे यह कहलाना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर बलि नहीं होनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन के हरेक सदस्य से अपील करूंगा कि वे इस बात पर पूरा गौर करके विचार करें। यह एक धर्म वालों का दूसरे धर्म में हस्तक्षेप है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को छोड़ कर किसी भी धर्म को देखें, हर धर्म में धर्म के नाम पर पशुबलि और कुर्बानी होती आई है और इसे धर्म का एक अंग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार बलि दी जाती है ब्राह्मण पंडित जो स्वयं मांस नहीं खाते फिर भी पास खड़े रह कर पशु-बलि दिलाते हैं। मुसलमानों में भी कुर्बानी होती है।

हमारे सेकुलर देश में और हमारे राजस्थान राज्य के अन्दर जहां परम्पराओं से किसी धर्म में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की गई तो इस जन-तन्त्र के युग में एक विशेष वर्ग के धर्म पर कुठाराघात करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना है। न मालूम किन कारणों से खुद अपने धर्म को मानते हुए भी कुछ सदस्य सदन में इस बात पर तुल गये हैं कि इस बिल को लाकर दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप करें और धर्म के नाम पर होने वाली पशु-बलि को रोक कर उनके धार्मिक भावों को ठेस पहुँचावें।

माननीय उपाध्यक्ष, अगर इस बिल को पास किया गया तो राजस्थान में बड़ी अशान्ति फैलेगी, पशु बलि बंद नहीं होगी। मैं राजस्थान सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान और खास कर राजस्थान के पुराने इतिहास की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां पर धर्म के मामले हुए हैं, वहां हजारों मर मिटे हैं। यह प्रस्ताव पास होते ही जगह जगह टंटे खड़े होंगे और यह सदन जिम्मेवार होगा उन सब का, अगर सदन ने इस बिल को पास किया। अगर इस बिल को पास किया तो इस सदन के हाथ, पशुओं का खून बचाने के प्रयास में, मनुष्यों के खून से रंगे हुए होंगे। आप पशुओं की बलि रोक कर, ऐसा न हो कि मनुष्यों की बलि करवा कर उनके खून से हाथ रंगें। अगर

[श्री माधोसिंह]

आप रंगना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप अवश्य रंगिये। आप जानते हैं कि जिनके पूजन का तरीका है वही तरीका रहेगा। शक्ति के भोग के लिये ऐसा होता है और किसी दूसरे धर्म में किसी दूसरे तरीके काम में लिये जाते हैं। सरकार को किसी के धर्म में आक्षेप नहीं करना चाहिये। लोग यह समझते थे कि सरकार किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है, वे अपने धर्म में मस्त थे। कौन कहता है कि बौद्ध मंदिरों के सामने जाकर आप बलि चढ़ाइये। एक विशेष वर्ग अपने मंदिर में बलि चढ़ाता है तो दूसरे को क्यों आपत्ति होनी चाहिये ? अगर एक गांव में शक्ति का मंदिर है और उस मंदिर में बलि चढ़ाने से तमाम गांव वाले खिलाफ हों कि वहां पर बलि नहीं चढ़ाई जावे तो एक आदमी की क्या हिम्मत हो सकती है कि वह बलि चढ़ावें ? वह हरगिज बलि नहीं चढ़ा सकता। अगर आपको यह बात करनी है तो आपको चाहिये कि इस चीज को गांव की पंचायतों पर छोड़ दीजिये। वे अगर चाहें तो इसको रोक सकते हैं, आपको यह नहीं चाहिये कि यहां भारा सभा में कानून पास करके इसे रोका जावे। इसका नतीजा यह होगा कि राज्य कर्मचारी इस चीज के नाम पर लोगों से पैसा बटोरेंगे और लोगों को तंग करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में भी बलि चढ़ावेगा तो भी उसको वे लोग तंग करेंगे। माननीय अध्यक्ष, हमारा देश इस दिशा में सेक्यूलर माना गया है। इसका मतलब धर्म-निरपेक्ष राज्य है। किसी के धर्म पर रोक नहीं है तो फिर यह समझ में नहीं आता कि यहां लोगों की बुद्धि पर क्या भूत सवार हो गया है, कि वे किसी के धर्म पर आक्षेप करें। कोई व्यक्ति अपने देवता की पूजा बलि से करता है, तो कोई पानी चढ़ा कर करता है तो कोई दूध चढ़ाता है, फल फूल चढ़ाता है। यह तो अपने अपने देवताओं की पूजा करने के अलग अलग तरीके हैं। कल मैं यह कहने लग जाऊं कि बाल-दीक्षा में बाल क्यों नोचे जाते हैं ; क्या इससे मनुष्य को दुःख नहीं होता। क्या मनुष्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिये। हम नहीं चाहते कि सदन के सामने कोई ऐसी बात कही जावे जिससे बुरा वातावरण आवे। मुझे अब मालूम होने लगा है कि पैसे के बल पर लोगों के धर्म पर आक्षेप किया जा रहा है। (हिअर-हिअर) मगर मैं यह कहूंगा कि न तो ऐसी चीज कभी हुई है और न होगी। कांग्रेस के लोगों के पास जिनके पास सत्ता है, उन्होंने सब कुछ कर दिया। मैं यह कहूंगा कि कितने दिन तक लोगों को वे खरीदते जावेंगे पैसे से। (हंसी) आखिरकार लोगों की मांग सामने आ कर रहेगी। अब मैं राजस्थान सरकार से यह कहूंगा कि हम लोग तो न्युटरल रहेंगे, मगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो सत्ता इसमें जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है सरकार की। सामने नौरात्री आ रही है। इस गलती के कारण इन्सान मरेंगे, बकरों के बजाय आदमी मरेंगे। राजस्थान सरकार जो इस मामले में चुप होकर बैठ गई है वह चाहती है कि राजस्थान में वह स्थिति आए जिसमें खून-खच्चर हो और इस पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि पूरे राजस्थान में अशान्ति आए। माननीय उपाध्यक्ष, मैं सरकार से और माननीय सदन के सदस्यों से कहूंगा कि वे क्यों यहां पर चुन कर आए हुए हैं। वे यहां पर जनता की आवाज को पहुँचाने के लिये आए हुए हैं और उनको चाहिये कि किसी के धर्म पर सरकार आक्षेप न करे और न करने दें। जैन धर्म के अन्दर निर्वाण लोग चाहते हैं। निर्वाण में भूखे मरते हैं। उन्हें हम

[श्री माधोसिंह]

क्यों नहीं रोकें ? हम क्यों नहीं कहें कि ये लोग स्यूसाइड करते हैं। मगर हम उनको इसलिये नहीं रोकते और कुछ नहीं कहते कि यह उनके धर्म की प्रथा है। मैं उनसे यह अपील करूंगा कि वे इस पर सोचें। मैं यह मानने को तैयार हूं कि जहां गांव में ज्यादा लोगों की राय इसके विरोध में हो, उस गांव के पंचों को इसका अधिकार होना चाहिये कि वह इसको बन्द कर दें। पंच रोक सकते हैं, लेकिन सदन के ज़रिये यह कानून बना कर इस प्रकार का धर्म पर हस्ताक्षेप न करें। इससे राज्य के कर्मचारी आकर हस्ताक्षेप करेंगे और लोगों से पैसा बटोरेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि इस पर आप लोग बहुत सोच विचार कर अपना मत दें।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, आज का विषय पशु-बलि निरोधक बिल के विषय में है। मैं भी इसके विरोध में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस बिल के पक्ष में अनेक वक्ताओं ने अपने मत व्यक्त किये हैं अर्थात् अनेक सदस्यों को यह मान्यता है कि पशु-बलि जो धर्म कह कर की जाती है, वह बन्द हो जानी चाहिये। परन्तु मेरी मान्यता इसके विपक्ष में है। क्योंकि जब हम प्रस्तुत बिल के मूल सिद्धान्तों के अन्तःस्थल में पहुँचते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह बिल इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है कि अहिंसा परमो धर्मः है यानि हिंसा न करना परम धर्म है। इस सिद्धान्त के आधार पर पशु-बलि द्वारा होने वाली पशु हिंसा का बन्द होना धार्मिक कार्य है, अतः पशु-बलि बन्द हो।

मैं भी अहिंसा को परम धर्म मानता हूँ। पर फिर भी इस बिल का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जिस शास्त्र की दुहाई देकर अहिंसा को मान्यता दी है, उस शास्त्र के द्वारा अहिंसा की परिभाषा में रखना चाहता हूँ तथा यह बताना चाहता हूँ, कौनसी हिंसा हानिकर है, पापजनक है और धर्म विरुद्ध है, और कौनसी हिंसा राष्ट्र की तथा कर्ता की एवं वध्य पशु की कल्याण-कारिणी है।

आपको यह आश्चर्य मालूम होता होगा कि कहीं हिंसा से भी राष्ट्र का या कर्ता का या हिंस्य का कल्याण हो सकता है। परन्तु कुशाग्र प्रतिभा से विवेचना करेंगे तो आपको इसका स्वरूप स्पष्ट विदित हो जायगा।

उदाहरणार्थ आप धर्म युद्ध को लीजिये। युद्ध के नियमों के अनुसार हम अपने राष्ट्र पर आक्रान्ता वीर समूह का वध करते हैं और वीरतापूर्वक वध करते हैं, और वीरतापूर्वक शत्रु को हटा देते हैं, तो हम हमारे राष्ट्र का कल्याण करते है तथा निहत पराजित शत्रुवृन्द को स्वर्ग में पहुँचा देते हैं और स्वयं वीरपूजा प्राप्त कर मातृ भूमि की उच्च कोटि की सेवा करते हैं और मातृ सेवा धर्म का महान् फल प्राप्त करते है।

इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया है, निहन्ता को धर्म मिला निहत को स्वर्गादि लोक मिले, और राष्ट्र का कल्याण हुआ। तो इससे तात्पर्य यह निकला कि धर्म शास्त्र विधान के अनुकूल जो कार्य किया जाता है वह धर्म है, कल्याणकारी है, और इसके विपरीत जो कुछ किया जाता है

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

वह अधर्म है या विरोधी है। तो अब हमें यह विचार करना है कि धर्म के नाम पर की जाने वाली पशु बलि वैध है या अवैध, इस सम्बन्ध में मैं आपके सम्मुख मनुष्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म की व्याख्या करता हूं।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सभासदों को यह बतला देना चाहता हूँ कि धर्म की मान्यता के विषय में मनु क्या कहते हैं। मनुः

"श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः, स्वस्य च प्रियमात्मनः।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः शाक्षाद् धर्मस्य लक्षणम् ॥"

वेद, मन्त्रादि, धर्म शास्त्र, सत्पुरुषों का आचरण एवं अपनी आत्मा को जो रूचिकर हो वह चार प्रकार का धर्म है।

अब आपके सामने यह बतलाना चाहता हूँ कि वेद क्या कहता है;

यजुर्वेद :

"एष ते रूद्रभागः सह स्वस्त्राम्बिकया ते जुषस्व स्वाहैष ते पशुः।"

हे रूद्र यह भाग आपका है, इसे जगदम्बिका पार्वती के साथ सेवन करो। यह पशु-बलि रूप में यानि हवनीय द्रव्य के रूप में आपके अर्पित है।

इसी प्रकार अश्वमेधादि यज्ञों का सविस्तार वर्णन है। अब लीजिये स्मृति को, स्मृतियों में मनुस्मृति मुख्य है, उसमें मनु क्या लिखते हैं :

"समुत्पतिं च मांसस्य वध बन्धौ च देहिनाम्।
प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्व मांसस्य भक्षणात् ॥"

मांस की उत्पत्ति को देख कर और प्राणियों के मृत्यु तथा बन्धनों को देख कर मानव को चाहिये कि समस्त पशुओं के मांस भक्षण से हट जाय। अब मनु यह बतलाते हैं कि मांस की उत्पत्ति कैसे होती है, और उसका परिणाम क्या है :

"ना कृत्वा प्राणिनां हिंसा मांसमुत्पद्यते क्वचित्।
न च प्राणिवधः स्वर्ग्यस्तस्मान् मांस विवर्जयेत् ॥"

प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस उत्पन्न नहीं होता और प्राणियों का वध करना स्वर्गादि लोको का दायक नहीं, इसलिये मांस भक्षण को छोड़ देना चाहिये। इससे यह स्पष्ट प्रमा

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

णित है कि मनु मांस भक्षण के पक्ष में कदापि नहीं हैं। पर वे विधिवाद के विरूद्ध भी नहीं हैं। क्योंकि वे सामान्यतः मांस भक्षण-निषेध कर विधिवाद के सम्बन्ध में यह कहते हैं :

"यज्ञाय जग्धि मांसस्येत्येष देवो विधिः स्मृतः।
अतोन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरूच्यते ॥"

यज्ञार्थ मांस खाना देवताओं का विधान है। इससे प्रतिकूल अर्थात् यज्ञातिरिक्त मांस भक्षण की प्रवृति राक्षसों का विधान है। इससे यह सिद्ध है कि विधि के अनुसार मांस खाना जायज़ है, अन्यथा अनुचित है। इसी का मनु ने पुनः स्पष्टीकरण किया है :

"न भक्षयति यो मांसं विधिं हित्वा पिशाचवत्।

स लोके प्रियतां याति व्याधिभिश्च न पीड्यते ॥"

जो राक्षस की तरह विधि को छोड़ कर मांस नही खाता अर्थात् जैसे पिशाच यज्ञ विधि की परवाह न कर अपने पोषण के लिये मांस खा लेता है, उस प्रकार जो मांस नहीं खाता यानि दैव विधि को छोड़ कर अन्यथा मांस नहीं खाता वह व्यक्ति देव तुल्य लोक प्रिय बनता है और व्याधियों से पीड़ित नहीं होता।

श्री गोपीलाल यादव—इसका यह अर्थ नहीं कि मांस खाना चाहिये।

श्री रूप नारायण शास्त्री—इसका यही अर्थ है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—ओन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, वह मांस खाने की विधि क्या है, सो भी तो बतलाई जावे।

श्री रूपनारायण शास्त्री—विधि भी बतलाई जावेगी। पहले यह बतलाता हूं कि मनु, विधि प्रतिकूल मांस भक्षण के कितने विरूद्ध है :

"अनुमन्ता विशसिता, निहन्ता क्रय विक्रयी।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥"

अवैध मांस भक्षण का अनुमोदन करता है तथा छेदन करने वाला, मांस खरीदने वाला, मांस बेचने वाला और मांस खाने वाला, ये सब हत्या के पाप के समान भागी हैं।

"स्व मांसं पर मांसेन यो वर्धयितुमिच्छति।
अनभ्यर्च्य पितृन् देवांस्ततो न्यो नास्त्यपुण्यकृत् ॥"

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

जो अपने मांस को दूसरे के मांस से बढ़ाना चाहता है, पितर तथा देवताओं को बिना पूजे यानि यज्ञातिरिक्त समय में लोलुपता से मांस-भक्षण करता है, उससे अधिक दूसरा कोई पाप कार्य करने वाला नहीं। यानि विधि विरूद्ध मांस खाना महा पाप है।

"वर्षे वर्षे श्वमेधेन यो यजेत शतं समाः।
मांसानि च न खादेद्य स्तयोः पुण्यफलं समम् ॥"

जो महापुरूष प्रति वर्ष अश्वमेध यज्ञ में सैकडों वर्ष यजन करता है तथा एक वह व्यक्ति है जो मांस नहीं खाता उन दोनों का पुण्यफल समान है। इसका अभिप्राय केवल मुक्ति प्राप्ति के लिये प्राप्त होने वाली पवित्रता के लिये है न कि अश्वमेध यज्ञ में बलि पशु के वध निषेध में। क्योंकि गीता में भगवान् श्री कृष्ण ने भी यह माना है:

"यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ।"
यज्ञ, दान, तप, ये तीनों बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं।

इससे यह प्रमाणित हुआ कि जो सर्व भूत हितैषी मांस नहीं खाता यानि "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" के सिद्धान्त की सच्चे हृदय से उपासना करता है, वह तथा अश्वमेध यज्ञ में यजन करने वाला दोनों पवित्रता में समान फल भागी हैं। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह अश्वमेध यज्ञ में सैकडों अश्वों की बलि देने वाला कभी अपवित्रता या हत्या के दोष से लिप्त नहीं होता।

"सदा यजेत यज्ञेन सदा दानानि यच्छति ।
स तपस्वी सदा विप्रो यश्च मांसं विवर्जयेत् ॥"

जो ब्राह्मण यज्ञ में यजन करता है, जो सर्वदा दान देता है तथा जो सर्व भूतानुकम्पी हो कर मांस को छोड़ देता है यनि प्रवृत्ति मार्ग से बढ़ कर निवृत्ति मार्ग की ओर जाना चाहता है तो वह तप में पवित्र होने वाले के सामान ही पवित्र होगा।

"फल मूलाशनैं मेंध्यै मुन्यन्नाचं भोजनैः।
न तत् फलमवाप्नोति यन्मांस परिवर्जनात् ॥"

पवित्र फल-फूलों के आहार से उपविन्न (शामक) नीवारों के भोजन से उस फल को नहीं प्राप्त होता, जिस फल को मांस त्याग से प्राप्त होता है।

"मांस भक्षयितामुत्र यस्य मांस मिहाद्म्यहम् ।
एतन् मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥"

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

मांस शब्द का अर्थ ही यह है कि मैं जिस पशु का मांस यज्ञाद्यतिरिक्त समय में लोलुपता से विधि विरुद्ध खाता हूं, वह पशु परलोक में मेरा मांस खायेगा। इसलिये मांस शब्द कहा गया।

मांस का अर्थ है, वह पशु जिसका मांस खाता हूं, मुझको खायगा। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि मनु मांस भक्षण के पक्ष में नहीं है। किन्तु मनु विधान के प्रतिकूल भी नहीं है। वे विधान को जो वेद के रूप में है। सर्वतोऽधिक महत्व देते हैं। इसलिये वेद--विहित यज्ञादि में पशु बलि को मानते हैं; क्योंकि विधान के अनुसार जो हिंसा होती है वह हिंसा नहीं मानी जाती। जैसे लोक में दन्ड विधान के अनुसार किसी को प्राण दंड दिया जाता है तो उसे कोई भी दूषित नहीं मानता। अब इस सम्बन्ध में यह देखना है कि विधान क्या है यानी हमारे सामने विचारणीय विषय यह रह जाता है कि पशु बलि के सम्बन्ध में विधान क्या है?

"क्रीत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृतमेव वा
देवान पितृंश्चार्चयित्वा खादन्मांसं न दुष्यति।"

मांस की अथवा उस पशु की जिसकी बलि देनी है, खरीदकर अथवा स्वयम् मांस का उत्पादन कर उसको देवता और पितृश्वरों को भोग दे।

श्री गोपीलाल यादव—आपने कहा मांस का उत्पादन कर, सो मांस का स्वयम् उत्पाद न थोड़ा ही होता है। इसका मतलब नाज वगैरह से है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—मांस का निर्माण करे।

श्री गोपीलाल यादव—कैसे निर्माण करता है, समझते ही नहीं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—मांस स्वयं उत्पन्न नहीं होता वह प्राणिवध द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसलिये मैंने 'उत्पादन' शब्द का प्रयोग किया है। जो प्रेरणार्थक क्रिया से बनाया गया है। इसका मनु ने पुन: स्पष्टीकरण किया है:

"नाद्यादविधिना मांसं विधिज्ञोऽनापदि द्विज:
जग्ध्वा विधिनां मांसं प्रेत्यतैरद्यतेऽवश:।"

विधि को जानने वाला विद्वान विधि के प्रतिकूल मांस का भक्षण न करे, यदि विधि विरुद्ध मांस भक्षण करेगा तो मांस भक्षी उन पशुओं से परलोक में, जिनका मांस खाया है जबरदस्ती नोच कर खाया जायगा। इससे यही स्पष्ट है कि विधि के अनुसार पशु-बलि हो।

पुन: मनु कहते हैं:

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

"न तादृशं भवत्येनो मृगहन्तुर्धनार्थिनः
यादृशं भवति प्रेत्यवृथामांसानि खादतः ।"

धन के लिये पशु हत्या करने वाले कसाई को उतना पाप नहीं होता जितना व्यर्थ यानी विधिवाद की विवशता की अतिरिक्त लोलुपता से मांस खाने वाले को होता है ।

इसका अभिप्राय भी यही है, कि विधिवाद के अनुसार हिंसा हिंसा नहीं । अब मनु स्पष्ट विधिवाद के सम्बन्ध में आज्ञा देते हैं :

"नियुक्तस्तु यथा न्यायं यो मांसं नात्ति मानवः
सप्रेत्य पशुतां याति सम्भवानेक विंशतिम् ।"

राजा श्री मानसिंह–Is he going to read the whole thing ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—इनको ही सारा टाइम दे देंगे तो दूसरा कोई बोलेगा ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—मुख्तसिर कहिये ।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वे अपनी राय बता दें । मनुजी कहते हैं, वह तो हो गया । क्या आप मांस भक्षण के पक्ष में हैं ? क्या आपने खाया है या खाते हैं ?

श्री रूपनारायण शास्त्री—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैंने तो क्या मेरी सात पीढ़ी में भी किसी ने मांस भक्षण नहीं किया । मैं, मनु ने तथा शास्त्रकारों ने जो कहा है वही कह रहा हूं ।

([illegible])

श्री उपाध्यक्ष—जरा जोर से बोलिये । सारा पढ़ने के बजाय जो छंटे हुए श्लोक हैं उनको कह दीजिये । सारा पढ़ने से शिथिलता आ जाती है न लोगों को समझने में भी कठिनाई होती है । जो छंटे हुए क्वोटेशन्स हैं उन्हीं को लीजिये ।

श्री जवानसिंह—शिथिलता का क्या आर्ग्युमेन्ट है ?

कु' श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, I have got a point of order Sir, and that point of order is this that if we see the rules, in the rules, it is expressly permitted that if quotations are to be read in the House the

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

hon'ble member has full right to quote from the books or relevent papers. My Hon'ble friend wants to augment his arguments and enlighten those of us who are not very conversant with Shastras and it is an eye-opener matter that we did not know that sacrifice is such an important and sacred thing and it is to convince us all the more by bringing in a mention of this nature that injustice is being done to the religious beliefs and feelings of some of us. Under the rules if quotations are to be read before the...

श्री उपाध्यक्ष—कोटेशन की आपको इजाजत दी जा रही है। आपने, (श्री शास्त्री ने) तो किताब को लेकर पढ़ना शुरू कर दिया, इसीलिए लोगों को ख्याल हुआ। किसी कोटेशन को लेकर आप उसकी जैसा आप चाहें उसी अनुसार व्यवस्था कर दें। मनु ने तो कई बातें कही हैं जो किताब में हैं। जिस पोइन्ट को आप लेना चाहते हैं, उसको लेते हुए उसके समर्थन में जो जो बातें आपको कहनी हैं वे कहें, ताकि समझने वालों को भी समाधान मिले और आर्गुमेन्ट भी ठीक हो जाय।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—Exactly, sir, that was my Point of order

श्री उपाध्यक्ष—इजाजत दे दी है। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं रहता है।

श्री रूपनारायण शास्त्री—गलती का सवाल नहीं है। मेक्समूलर, जो कि विलायत का रहने वाला था और जो कि मांस खाने वाला था उसने भी उसकी टीका की है...

(बाधा)

जो गलत है...

(पुनः बाधा पर घण्टी)

मनु का यह शास्त्र है...

(पुनः बाधा पर घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आप लोग व्यक्तिगत बातें न करिये एवं व्यक्तिगत बहस न की जाय। चेयर को एड्रेस किया जाय और चेयर के थ्रू ही सदन को (श्री शास्त्री) समझायें। कोई एतराज करता है तो विस्तार पूर्वक उनसे बातें न की जाय। सदन के सामने जो बातें आपको रखनी हैं वे ही अच्छी तरह से रखिये। उनको अगर अनुचित कोई बात लगेगी तो अपने जवाब में उसका उत्तर दे देंगे।

Page No.55

रावत श्री शंभूसिंह—जो एलीगेशन्स लगाये गये हैं; उनका तो क्लेरिफिकेशन करना चाहिए।

श्री रूपनारायण शास्त्री—मनु इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं, मैं आपको यह बता रहा हूं। मैं आपको एक बात कह कर दूसरी बातें नहीं कह रहा हूं। व्यर्थ और अप्रसांगिक बातें नहीं कह रहा हूं। मनु ने इस सम्बन्ध में कहा है।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय गोपीलालजी यादव अपनी सीट को छोड़कर माननीय स्पीकर के पास क्यों बैठे हैं? इन्फ्ल्युएन्स करने गये हैं क्या?

श्री गोपीलाल यादव—तैयारी करने के लिए।

(बाधा पर घंटी)

श्री मोतीराम चौधरी—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, एक एक सदस्य को बोलने के लिए कितना समय दिया गया है। माननीय पंडितजी आधा घंटा तक तो बोल चुके हैं।

राज श्री हिम्मतसिंह—श्री गोपीलालजी यादव उनकी स्लिप खींचते हैं और उनको नहीं बोलने देते हैं।

श्री मानसिंह महार—उनको वहां से हटा दिया जाय।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, यह आपको तय करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—नियम पढ़ते तो मालूम हो जाता। आपके पास तरीका हैं। क्लोजर मूव कर देते तो हो सकता है। सदस्य महोदय को सावधान कर दिया गया है कि वे जो खास खास बातें कहनी हो वे ही कहें।

श्री हरिदेव जोशी—अब दूसरों को भी बोलने का मौका मिलेगा या नहीं? कितने ही सदस्यों को इस विषय में बोलना है। यदि वे ही पूरी मनुस्मृति को कहेंगे तो फिर इस सेशन में तो समय ही नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने मेरे ख्याल से उनका ध्यान काफी आकृष्ट किया है। वे अब इसको विचार करके जो खास खास बातें हैं, वे ही कहेंगे।

कु० जसवन्त सिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह एक धार्मिक विषय है; जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष ने भी फरमाया और इसका

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

वैधानिक इन्टरप्रीटेशन भी हमारे सामने रखा । लेकिन जो शाक्य हैं उनकी भावनाओं पर इस सवाल का बहुत कुछ असर पड़ने वाला है । जहां तक डेमोक्रेसी के मायने है, मेरी समझ में यह मायने होते हैं, बहुमत किसी काम को करना चाहता है तो अल्पमत की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा कर नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—इसी आधार पर तो आपको बोलने की इजाजत दी जा रही है ! यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है ।

(श्री रूपनारायण शास्त्री से) आप कितना टाइम लेंगे ?

एक माननीय सदस्य—सारी किताब अगर बांचने लग जायेंगे तो यह बिल आगे चलने वाला नहीं है ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—एक घंटे से अधिक समय नहीं लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष— इतना समय तो एक सदस्य को नहीं मिल सकता । आपके लिये आध घंटा बहुत काफी है । अभी जो आप बातें कह रहे हैं उनमें से मुख्य मुख्य बातें हैं वे ही कहें तो ठीक रहेगा ।

श्री लाल बहादुर— पंडितजी की स्पीच के दौरान में जो बीच बीच में एतराजात उठाये जाते हैं, इसमें शास्त्रोक्त बातें हमें सुनने को नहीं मिल सकतीं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष जी इनको बोलते हुए आध घंटे से पांच मिनिट ज्यादा हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष— It is no point of order.

श्री रूपनारायण शास्त्री—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इसप्रकार का बिल लाकर आप विधान का उल्लंघन कर रहे हैं । इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मनु ने इसको कितना आवश्यक समझा है ? वे कहते हैं कि जो मनुष्य विधि के अनुसार, यज्ञादिक के विधान के अनुसार, विधि के अनुसार मांस को नहीं खाता, वह मर कर २१ पीढ़ी तक पशुयोनि को प्राप्त होता है ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, इसका मतलब यह नहीं । इसका मतलब यह है कि जो लोग मांस खाते हैं वे २१ पीढ़ी तक पशुयोनि में रहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बीच में डिस्टर्ब मत करिये। नहीं तो समय बढ़ा देना पड़ेगा।

श्री रूपनारायण शास्त्री—(अपना भाषण जारी रखते हुए)

इसके उत्तर में मैं इतना ही निवेदन करदेना चाहता हूं कि यह श्लोक मनुस्मृति का ३५ वां श्लोक है। इसकी टीका जो कि मेक्समूलर द्वारा की गई है। जो श्री भीमसिंहजी के पास रखी है। आप उसको लेकर देख सकते हैं। आपको पता चल जायगा कि मैं गलत अर्थ कर रहा हूं या वास्तव में वही अर्थ है।

श्री गोपीलाल यादव—आप टीका भी लाये तो मेक्समूलर की, आप दयानन्द की टीका बताइये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मनु ने यज्ञ यज्ञादिक के अतिरिक्त मांस भक्षण की आज्ञा नहीं दी है। इस सम्बन्ध मनु ने पुन: स्पष्टीकरण किया है :

असंस्कृतान पशून मन्त्रैर्नाद्याद् विप्र कथंचन :
मन्त्रैस्तु संस्कृतायनद्याद शाश्वतं विधि मास्थित :"

वैदिक मन्त्रों से संस्कार किये बिना कदापि मांस भक्षण न करें, वैदिक मन्त्रों से संस्कार होने पर बलि पशु का मांस भक्षण करें।

क्योंकि मनु ने यज्ञ में पशु बलि की स्पष्ट आज्ञा दी है।

"यज्ञार्थ पशव: सष्टा: स्वयमेव स्वयम्भुवा।
यज्ञोऽस्य भूत्ये सर्वस्य तस्माद्यज्ञे वधोऽवध"

विधाता ने पशुओं को यज्ञ के लिए बनाया है। यज्ञ में उनका बलिदान हो और यज्ञ सुसम्पन्न हो। क्योंकि यज्ञ ही इस विश्व के कल्याण के लिए है, इसलिए यज्ञ निमित्त जो पशु वध है, वह वध की श्रेणी में नहीं होता, कारण यह पवित्र कार्य है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है :

"अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न सम्भव:
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ: कर्म समुद्भव: "

प्राणी अन्न से जीते हैं, अन्न मेघों से होता हैं। मेघ यज्ञ से होता है, यज्ञ वे दविहित कर्म द्वारा सम्पादित होता है। इसका सारांश यह है कि राष्ट्र धन धान्य पूर्ण यज्ञ से होता है और

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

शाक्त यज्ञ अश्वमेघयज्ञ पशु बलि बिना हो नहीं सकते, अतः यज्ञ में बलि हो, अन्यत्र न हो। इतना ही नहीं किन्तु यज्ञ में बलिभूत पशु को भी उत्तम गति प्राप्त होती है।

"औषध्यः पशवो वृक्षा स्तिर्यन्चः पक्षिणः स्तथा।
यथार्थ निधनं प्राप्ताः प्राप्नुवन्तु त्सृतीः पुनः।"

यज्ञ के निमित्त जिन पशुओं का बलिदान होता है वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्गगामी होते हैं।

अब प्रश्न यह है कि वेद की पशु-बलि के सम्बन्ध में कहां कहां आज्ञा है। और कहां कहां निषेध है।

"मधु पर्के च यज्ञे च पितृ देवत कर्मणि
अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रे त्यव्रवीन्मनुः।
एष्वर्थेषु पशून हिंसन् वेद तत्वार्थ विद् द्विजः
आत्मानंच पशुंचैव गमयत्युतमां गतिम्।"

मधु पर्क यज्ञ पित्तर तथा देवताओं के लिए ही पशुओं का बलिदान किया जाता है। अन्यत्र नहीं। इन निमित्तों में जो वेद् तत्व वेत्ता बलिदान करता है यह अपने को और पशु को उत्तम गति यानी स्वर्गादि लोकों को पहुँचता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, ये गान्धर्व विवाह के बारे में भी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप तो अपना भाषण जारी रक्खें। यह कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अब आधा घंटा चालीस मिनिट तो बोलते हो गये, आप घड़ी देख लीजिये। आपने आधा घण्टे का समय दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर प्लीज़ ! आर्डर प्लीज़ !! समय मैंने उनको दिया है। हो जावेगा तो रोक दिये जावेंगे। आप बीच में इन्टरफियर न करें।

श्री गोपीलाल यादव—ये यज्ञ पर कह रहे हैं। मान लिया उनका कहना। यज्ञ पर एक श्लोक कह दें सो वह एक श्लोक पढ़ लिया उन्होंने। और एक श्लोक चाहें तो और कह लें। इससे ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा। यों तो फिर पढ़ते ही जाओ। इससे क्या फायदा।

Page No.59

श्री हिम्मतसिंह—ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष—क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री कस्तूरचन्द—आखिर सदन के समय की भी कोई कीमत है। इन्होंने अकेले ने ही घण्टा भर का समय ले लिया है। यह भी, उपाध्यक्ष महोदय, आपको देखना है।

श्री गोपीलाल यादव—यज्ञ का अर्थ भी तो नहीं आता आपको।

श्री रूपनारायण शास्त्री—तो मैं इनका जवाब दिये बगैरह ही अपना भाषण जरी रखता हूं। या हिंसा...

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, यादवजी ने ऐसे धुरन्धर विद्वान को यह कहा कि उन्हें यज्ञ का अर्थ नहीं आता। क्या इस तरह कहना पार्लियामेंटरी है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह बहस में टाइम बिताने की बात नहीं है। पण्डितजी आपको जो बात कहने की है वह कहें। पण्डितजी को मेरे खयाल से बोलने देना चाहिये।

श्री जवानसिंह—यह तो व्यक्तिगत आक्षेप है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई पोइन्ट ऑफ आर्डर का सवाल नहीं है।

('ऑर्डर' के लिए घण्टी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—खास तौर से संस्कृत के विद्वान के लिए यह आक्षेप ठीक नहीं है साहब।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—order please आप लोग चाहते हैं कि वे न बोलें। और दूसरों को समय दिया जावे। वे लोग भी एतराज करते हैं और आप भी बीच २ में बातें करते हैं। बजाय उनको बोलने देने के आप उनके भाषण का सिलसिला तोडते हैं।

(पण्डितजी से) आप अब किताब लेकर ही बांचेंगे या और भी कुछ बोलेंगे ?

श्री रूपनारायण शास्त्री— मैं आगे इस विषय को छोड़ देता हूँ और दो २ । कों को पढ़ देना ही पर्याप्त समझता हूँ।

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

मनु के इन सब वाक्यों का निष्कर्ष अब मैं आपके सामने रखता हूं।

"या वेद विहिता हिंसा नियतास्मिंश्चराचरे।
अहिंसा मेव तां विद्याद् वेदाद् धर्मो हि निर्बभौ।"

वेद ने जिस जगह हिंसा की आज्ञा दी है वह हिंसा नहीं अहिंसा ही है, क्योंकि धर्म वेद से प्रगट हुआ है।

इससे स्पष्ट विदित होता है जैसे कोई राष्ट्र हित के लिये बलिदान होता है। वह स्वर्गादिलोकों में यशस्वी होकर जाता है उसी प्रकार देवताओं के लिये बलिदान होने वाला पशु भी स्वर्गादिलोकों को जाता है।

अब मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूं। कि यज्ञ किसे कहते हैं मैं जहां तक समझता हूं, "यज्ञ" शब्द का अर्थ देव पूजा है, क्योंकि यज्ञ शब्द यज देवपूजासंगति करण दानेषु धातु से बना है। यज्ञ में यानी देव पूजा में वेद विहित, हिंसा, हिंसा नहीं। अब इस बिल के संबन्ध में जो मेरी मान्यता है, उसे व्यक्त कर देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमानों के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल इस कामना से नहीं रक्खा गया, कि हिंसा बुरी चीज है वह बन्द हो, किन्तु प्रस्तावक का दृष्टिकोण इसमें विशेषता रखता है। यह तब मान्य होता जब कि प्रान्त में या समाज में प्रचलित हिंसा का बिल में सर्वथा विरोध होता। और हिंसा का न केवल नियन्त्रण होता किन्तु सर्वथा निषेध होता अर्थात हिंसा सर्वत्र सर्वदा सर्वांशं में हेय है, अतः सर्वदा के लिये उसका अस्तित्व मिटा दिया जाय तो मैं सबसे पहिले प्रस्तावक महोदय का समर्थन करता किन्तु इस विधेयक में प्रवक्ता ने जो हिंसा नियंत्रण का दृष्टिकोण रक्खा है वह सर्वथा प्रतिकूल प्रकार से रक्खा गया है। और प्रस्तावक महोदय के दुराशय का भी प्रतीक है जो कि अग्रेतर भाषण से स्पष्ट हो जायगा। किसी बुरी वस्तु का नियन्त्रण किया जाता है, जैसे प्रकृति के उद्दाम वेग से समद्भूत काम वासना विवाहाख्य संस्कार द्वारा निगृहित की जाती है, और ऋतुकाल गमन से और भी अधिक नियन्त्रित की जाती है, नैष्टिक ब्रह्मचर्य में वह अधिकांश में नियमित की जाती है, तो यह नियन्त्रण का तरीका प्रशस्त कहा जा सकता है परन्तु यह इस प्रकार नियन्त्रित किया जाय कि विवाहिता पत्नी के साथ ऋतु काल में संगम वर्जित है, और अन्यत्र स्वच्छन्दता से काम प्रवृत्ति जायज है, तो यह कदापि मानवता पूर्ण नहीं है वह पाशविक व्यवहार शिष्ट समाज में निन्दनीय ही समझा जायगा, इसी प्रकार विधि विरुद्ध हिंसा इस बिल में मुक्त रखी गई है, यानी बाजार में कसाई खानों में पशु वध पर कोई रोक नहीं, वह स्वच्छंद, अनवरत हो सकता है, यहां तक कि गो-वध पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं जिस गो-वध का अस्तित्व मिटाना परमावश्यक कर्तव्य है। परन्तु यज्ञ यागादि में देवी की शरत्कालीन पूजा में धर्म के नाम पर, वैदिक विधान के नाम पर हिंसा नहीं हो सकती। यह हिंसानिग्रह का दृष्टिकोण गलत

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

नहीं बल्कि वैदिक धर्मावलम्बियों को आघात पहुंचाने वाला है इसलिये यदि हिंसा पर प्रतिबन्ध लगाना है तो यह कहना उचित होगा कि यज्ञ याज्ञादि व देवी जी की शरतकालिन पूजा के अतिरिक्त हिंसा सर्वथा सर्वत्र बन्द हो। पर बिल में हिंसा निग्रह का प्रकार इसके विपरीत है, अतः मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि यह दया की भावना से नहीं रक्खा गया, किन्तु वैदिक धर्म की महानता को मिटाने की भावना से रखा गया, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। भगवान कृष्ण ने भगवद्गीता में यही कहा है :

"यः शास्त्रविधि मुत्सृज्य, वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्॥"

और यह भी निर्विवाद है कि बलिदान के रूप में जो हत्या होती है, वह जिसकी बलि होती है, वह उसके तमाम राष्ट्र के समाज के कल्याण के लिये होती है। उदाहरणार्थ अनेकों मातृभूमि के सच्चे सेवक राष्ट्रीय वीरों ने अपना बलिदान राष्ट्र के लिए किया, तो उनकी दिवंगत आत्मा आज भी हमको राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा रही है। आज हम उनका स्मृति दिवस मना कर उनके स्तुत्य कार्य की प्रशंसा करते हैं और ऐसे वीरों के बलिदान से न केवल वे स्वर्गगामी हुए यही फल हुआ, प्रत्युत राष्ट्र में चेतना आई, जागृति हुई। अतः सिद्ध है कि धर्म के नाम बलि होना सर्वथा समुचित है, अब प्रश्न रहा कि निरीह पशु की बलि मानव द्वारा क्यों हो ? इसका कारण स्पष्ट है कि पशु स्वयं ऊर्ध्व गति के प्रकार को ज्ञान शून्य होने के कारण नहीं जानता, अतः ज्ञानवान मानव को उनको ऊर्ध्वगति यानि स्वर्गादिलोकों में पहुंचाने के लिए यज्ञादि में उनकी बलि देना चाहिए। सारांश यह है कि श्रुति स्मृति द्वारा तो यह सिद्ध हो गया कि यज्ञ यज्ञादि में शरद्कालीन देवी पूजा में पशु बलि निन्दित नहीं।

अब मैं सदाचार के विषय में और कह देना चाहता हूं। शास्त्र विधि के अनुसार जो पशु बलि है वह सत् पुरुषों के आचार में आई है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् पर्णशाला के प्रथम प्रवेश के समय हरिण की बलि देते हैं, यह महर्षि बाल्मीकि ने अपनी रामायण में स्पष्ट लिखा है :

श्री मुक्तिलाल मोदी—On a point of order, Sir, इनको आध घन्टे का समय दिया वह तो पूरा हो गया।

श्री रूपनारायण शास्त्री—१५ मिनिट तो उक्त सदस्य ने विघ्न बाधा उपस्थित करने में ही ले लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह तो आपके कहने की बात है।

श्री पाण्डे यद—आप बीच बीच में नहीं बोलेंगे तो वह समाप्त करने वाले ही हैं।

श्री रूपनारायण शास्त्री—यह कह देना चाहता हूं । यह दो उद्देश्य के लिए कह देता हूं । चूंकि समृतियों के सम्बन्ध में कहा था । अब मैं सदाचार के सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको ५ मिनिट देता हूं ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—११.२० पर तो आपने फरमाया था कि इनको ३० मिनिट दिये जायं ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—नहीं ११.०५ पर कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष—वैसे जल्दी ही शुरू हुआ था ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—किसी कानून को मानते हैं तो वह कानून उपयोग में आता है या नहीं । जिस विधानसभा ने किसी कानून को बना दिया है, वह कानून काम में नहीं आता है, जब तक कि हाई कोर्ट नहीं मान लेती है उनकी वैधता को तब तक वह वैधानिक नहीं होता है । इस कानून को भी उसी अर्थ में समझें ।

इसके अलावा सदाचार की जरूरत है । अब सदाचार है उसके सम्बन्ध में कह देना चाहता हूं कि हम भगवान राम को सब सदाचारी मानते हैं । राम की जिस तपस्या के बल पर उनको धर्म प्रवर्तक माना जाता है, जो महापुरुष थे उन्होंने कहा था कि राम जैसा राज्य हो । तो भगवान राम इतने अच्छे थे कि इसमें किसी को सन्देह नहीं । राम के सत्पौरुष में कोई संदेह नहीं कर सकता है । इसलिये राम के सम्बन्ध में यह बतलाता हूं कि यज्ञ के सम्बन्ध में इस बलिदान का राम ने उपयोग किया है या नहीं । इसका उपयोग राम ने किया है । यह साबित है । यह महर्षि बाल्मिकि ने अपने उस पवित्र ग्रन्थ में लिख दिया है और उन्होंने जो कुछ कहा है वह सामान्य माना जाना चाहिए । महर्षि बाल्मिकि ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है यह मैं आपके सामने बाल्मिकि रामायण में से उदाहरण देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री शास्त्री के रामायण उठाने पर) पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, केवल एक दो श्लोक बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बीच बीच में नहीं बोलेंगे तो वह समाप्त करने वाले ही हैं ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, अब मैं आपके द्वारा महर्षि बाल्मिकि द्वारा निर्दिष्ट श्लोकों को प्रमाण रूप में उपस्थित करना चाहता हूं :

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

स्वस्यच प्रियमात्मनः ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनिट और दिये जावें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, इनको बोलने दिया जाय। तुलसी दासजी ने कहा है कि "पंडित सो ही जो गाल बजावा"।

श्री रूपनारायण शास्त्री—अपनी आत्मा को जो प्रिय हो वह भी धर्म है, पर यह शास्त्रीय विधि के वैकल्पिक पक्ष में है, जैसे मनु ने उपनयन संस्कार में कहा है

"गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्"।

ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गर्भ के ८ वें वर्ष में हो अथवा जन्म से आठवें वर्ष में हो। यह अपनी इच्छानुसार कर सकता है। पर विधान के सामने इच्छा या यों कहिये मन-मानी नहीं चल सकती।

अब मुझे यह बतलाना है कि यहां विकल्प क्या है? मैं यह समझता हूं कि भगवती त्रिगुणात्मिकादेवी की उपासना, रजः, सत्व, तम; इन तीन गुणों के अनुसार की जा सकती है। अर्थात् राजसी, व तामसी देवी को उपासना शरत् कालीन पूजा में यानी नवरात्रों में पशुबलि द्वारा बलि होती है जैसा कि महर्षि मार्कंडेय ने बतलाया है:

श्लोक

"रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरयानृप।
रुधिरमिश्रित मांस से तथा सुरा से बलिदान किया जाय।"
पुनः मार्कण्डेय कहते हैं कि:
पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमै"

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

इससे यह सिद्ध है कि राजश्री देवी की उपासना करने वाले पशु बलि दे सकते हैं। जो सात्विकी शक्ति की उपासना करते हैं यानी जो नारायणी की उपासना करते हैं उन्हें आवश्यक नहीं, अतः जिसको जो पसन्द हो वैसा वह कर सकता है। पर, किसी से अपनी इच्छानुसार कोई मनमानी नहीं करवा सकता, भारतीय संविधान की इच्छा भी यही है कि सब कोई अपने विश्वास और अपने धर्माचार्य निर्दिष्ट शास्त्रीय विधि अनुसार वह धर्माचरण में स्वतन्त्र हैं, अतः वैष्णव शाक्तों को बुरा नहीं कह सकते, वैष्णवों को शाक्त बुरा नहीं कह सकते। इसी प्रकार जैन धर्मावलम्बी अज्ञानी अल्पवयस्क बालक बालिकाओं को दीक्षित कर लेते हैं, पर हम उनके प्रतिकूल उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने को बिल नहीं लाते, अतः प्रस्तावक महोदय जब कि हमारी गवर्नमेंट धर्म निरपेक्ष है, तब धर्म संबंधी बिल ला कर विधान सभा में संघर्ष पैदा न करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनिट और बोलूंगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्षजी, इनको बोलने दिया जाय, हम बहुत प्रभावित हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मैं श्री कपिलदेव जी का समर्थन करता हूँ इनको बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप करीब करीब सभी बातें कह चुके हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इनको ५ मिनिट और दिये जांय।

श्री रूपनारायण शास्त्री—इसको पवित्रता की महाबलि मान ली जाय तो भी हम समय के अनुसार क्रमशः बन्द करने के लिए तैयार हैं। कंट्रोल हमारे यहां क्यों आया। जिनदिनों अन्न का त्रास आया तो हमारे यहां कंट्रोल आया। यदि इसका भी कंट्रोल की तरह से ध्यान दिया गया है तो ठीक है, लेकिन यदि कंट्रोल का तरीका ऐसा हो कि रुपये के स्थान पर १४ आने ही मिलने लगें तो यह ठीक नहीं होगा अर्थात् सुधार की बजाय बिगाड़ को अपनाया जाय। जिस समय कंट्रोल हो गया और अनाज कम मिलने लगा तो गोविन्ददेवजी के मन्दिर के जो कर्मचारी थे, कोर्ट ऑफ वार्ड्स या देवस्थान की तरफ से उन्होंने दरबार से यह कहा कि गेहूं मिलना कठिन है, इसलिये भोग में कमी करदी जाय तो क्या हर्ज है, सुधार के नाम पर यह कर दिया जाय। दरबार ने कहा कि जब हमारे सामने थाल में गेहूं की रोटी आती है तब तक गोविन्ददेवजी को भोग लगान पहले की तरह ही कायम रहेगा, जिस समय हमारे थाल में रोटी गेहू की नहीं

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

आयगी उस समय देखा जायगा । तो सुधार के नाम पर इस तरह से बिगाड़ करना ठीक नहीं है । कंट्रोल के नाम पर भोग बंद करना ठीक नहीं था । मैं आप से यही कहूंगा कि शास्त्रों में जो विधान है उसके अनुसार काम करते जाना चाहिये, हमें उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिये । देव पूजा क्यों नहीं होगी ? देव पूजा शास्त्रानुकूल करनी ही होगी ।...

श्री उपाध्यक्ष—ये वे ही बातें हैं जिनको आप पहले कह चुके हैं ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—खाली रिपीटेशन कर रहे हैं ।

(श्री रूपनारायण शास्त्री पुनः बोलने, कुछ और बोलने को हुए तो पुनः समय-समाप्ति सूचक घंटी बजाई गई)

श्री रूपनारायण शास्त्री—तो मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, मैं तो इसका क्लोजर मूव करता हूँ ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कैसे क्लोजर मूव कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं अलाउ नहीं करता हूँ क्लोजर को ।

(करतल-ध्वनि)

श्री कंवरलाल जेलिया—सदन के समक्ष जो इस बिल पर जनरल बहस चल रही है सके सम्बन्ध में मैं अपने विचार यहां प्रकट करना चाहता हूं । मैं सदन का ध्यान खास तौर से इस ओर दिलाऊंगा कि आपके राज्य की घोषित नीति क्या है और उसके आधार पर इस सम्बन्ध में कानून बनाने का हमें वैधानिक अधिकार भी है या नहीं और यदि इस तरह का कानून पास किया गया तो किसी हद तक धर्म के जो अधिकार हैं उन पर तो प्रहार होगा या नहीं ; आप इन सब बातों पर विचार करें कि राजस्थान के नागरिकों के साथ इन सब बातों का विचार किये बगैर कानून बना लिया तो मेरी निश्चित विचार-धारा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद २५ में जो धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार दिया है उसकी अवहेलना करना होगा । इस प्रकार का कानून लाकर हम इस अनुच्छेद को चैलेन्ज करते हैं ।

(करतल ध्वनि)

मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो यह जानना चाहते हैं कि संविधान का

[श्री कंवरलाल जेलिया]

कौनसा ऐसा अनुच्छेद है जिसका उल्लंघन इस प्रकार का कानून बनाने में होता है। संविधान का जो हिन्दी अनुवाद है, उसके अनुच्छेद २५ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं जिसका मूल आधार ही है धर्म स्वातन्त्रय का अधिकार। वह इस प्रकार हैं :

"२५. (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्ध के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाधरूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।"

इससे सम्बन्धित दूसरा अनुच्छेद है। उससे बताऊंगा कि राजकीय विधान सभाओं को इस संबन्ध में कानून पास करने का किस हद तक अधिकार है और यहां आपको किस हद तक अधिकार है कि इस सम्बन्ध में आप कानून पास करें। यह अलग सवाल है कि यदि इस कानून को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां का निर्णय क्या होगा, इसको चैलेंज करने का मेरा हक नहीं हैं। संपत्ति के अधिकारों के मूल अधिकारोंके बारे में अनुच्छेद ३ में दिया गया है कि

"राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि, जैसी कि खंड (२) में निर्दिष्ट है, तब तक, प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्, उसकी अनुमति न मिल गई हो।" जिस संविधान के तहत में हिन्दुस्तान और राजस्थान के राज्य हैं उन्होंने जो धर्म निरपेक्ष की घोषणा कर रखी है और राजस्थान विधान सभा के सदस्यों ने उस विधान की शपथ ग्रहण की है और अपने इस राज्य को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया है तो कोई विधान शास्त्री तर्क के आधार पर यह सिद्ध करे कि धर्म-निरपेक्ष राज्य की घोषणा करने वाले विधान सभा के सदस्यों को इस प्रकार का कानून पास करने का कहां तक अधिकार है? अगर आपने इस प्रकार का कानून पास करके मौलिक अधिकारों पर प्रहार किया तो यह विधान के खिलाफ होगा और धर्म निरपेक्ष की जो धारा है उसका भी उल्लंघन है। यह जो मेरे एतराज हैं उनका यदि कोई तर्कपूर्ण जवाब देगा तो मैं उसे मानने को तैयार हूँ।

श्री भैरोंसिंह(वि० सं० १६)—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाय, इस तरह के भी धार्मिक आदेश हैं, तो इस सम्बन्ध में आपका क्या रवैया होगा इस बारे में भी अपनी राय दे दें तो अच्छा होगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह भी मैं अभी बताता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—इसका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हरिजन मंदिरों में जा सकते हैं या नहीं? धर्म में तो इनके जाने की मनाई है?

श्री कंवरलाल जेलिया—संविधान के अनुच्छेद २५ के खण्ड (२) के भाग (ख) को देखिये, वह इस प्रकार का अधिकार देता है :

"सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो, अथवा हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिये खोलती हो।"

इस अनुच्छेद में अधिकार दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—यह दूसरा प्रसंग है।

श्री कंवरलाल जेलिया—आज कहा जाता है कि मन्दिरों के सामने पशु वध होता है। यह तो वर्षों से चला आ रहा है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले बकरीद के मौके पर कुर्बानी देते हैं। अगर आप बकरीद के मौके पर इस धार्मिक काम को करने से उनको रोकेंगे तो यह जो हमने हमारे राज्य की मूल नीति घोषित की है उसका खुले रूप से उल्लंघन होगा।

अगर जैन धर्म वालों को पशु-बलि से विरोध है तो मैं उन विचार धारा वालों को बता देना चाहता हूँ, हमारा राज्य किसी निश्चित धर्म को मानने वाला नहीं है! अहिंसा धर्म के पुजारियों को इस पशु-बलि से ठेस पहुंच सकती है, पर दूसरे नहीं चाहते। यह आपके धर्म में अच्छा नहीं है तो दूसरों को क्यों अपना धर्म नहीं मानने के लिये बाधित करते हो।

श्री गोपीलाल यादव—जैन धर्म का कोई नहीं है, यह बिल।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह पर्दे की आड़ में किया जा रहा है।

श्री गोपीलाल यादव—यह सब हिन्दू धर्म के माफिक हो रहा है।

श्री कंवरलाल जेलिया—अभी डिविजन के समय हिन्दू धर्म को मानने वाले काफी लोगों ने इसके विपक्ष में वोट दिये हैं तो इससे साफ जाहिर है कि जो धर्म की बात करते हैं कि हिन्दू धर्म का अगर एक माननीय सदस्य किसी भी धर्म के प्रभाव में आकर यह बिल पेश करता है और दूसरे लोगों को मजबूर करता है तो मैं मानता हूं कि आप दूसरे धर्म वालों पर कोई दबाव नहीं डाल सकते कि उनके धार्मिक अधिकारों पर प्रहार किया जाय, दूसरे धर्म की बातों के मानने के लिये उनको मजबूर किया जाय। भारत के नागरिकों के लिये किसी धर्म को मानने की पाबन्दी नहीं है, वह चाहे किसी भी धर्म को माने। एक नास्तिक भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह ईश्वर की शपथ ग्रहण करे। इस विधान में दिया हुआ है कि ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक भी भारतीय संसद का और राज्य संविधान सभाओं का सदस्य हो सकता है, इस विधान सभा के सदस्य कई एक महानुभाव हैं जिन्होंने नैतिकता की शपथ ग्रहण की है

Page No.68

[श्री कंवरलाल जेलिया]

है, ईश्वर की शपथ नहीं ली; यह हमारी प्रोसिडिंग्ज़ में है। जब आप नैतिकता की शपथ लेते हैं और यह जो मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिया है, उसके खिलाफ कानून पास करें तो यह कहां तक ठीक है। यदि आप ऐसा कानून पास करेंगे तो उनके साथ अन्याय करेंगे जिनका कि यह धार्मिक नियम हैं। क्योंकि आपने घोषणा की है कि आप सब मजहब वालों को एक ही दृष्टि से देखेंगे तो यह कानून पास करके आप उन दूसरे धर्मों को मानने वाले हैं, उन धर्मों के अनुयायी हैं, उन पर आप वैधानिक दृष्टि से प्रहार करते हैं।

श्री जवानसिंह—आज का समय समाप्त हो गया है। इसे कल लिया जावे।

(घंटी)

श्री बी. एन. जोशी—On a point of order, Sir, the hon'ble Member is in the possessim of the House and he should continue.

श्री उपाध्यक्ष—(श्री कंवरलाल जेलिया को सम्बोधित करते हुए) आप बोलने के लिये ज्यादा समय चाहते हैं या एक दो मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य—इनको काफी बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है। आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है, कल फिर ८ बजे।

श्री गोपीलाल यादव—कल का दिन और प्राइवेट बिजनेस के लिये दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। आज १२ बजे बाद हाउस डेकोरेशन कमेटी मीट करने वाली थी। किन्तु आज लीडर ऑफ दी हाउस यहां पर नहीं हैं इसलिये यह नहीं हो सकती। पंखा गिर पड़ा इस सिलसिले में किसकी गलती हुई है और क्या हुआ है, इसके संबन्ध में माननीय अध्यक्ष जांच करेंगे ताकि इस तरह की कोई चीज आयन्दा नहीं हो। पंखा जो गिर पड़ा वह एक्सीडेन्ट विचारणीय है। उसके लिये, उचित प्रबन्ध के लिये श्री अध्यक्ष सोच रहे हैं।

श्री गोपीलाल यादव—कल का दिन और इसी के लिये दिया जावे।

(सदन में "दिया जावे" और "नहीं दिया जावे" की आवाजें)

Page No.69

श्री उपाध्यक्ष—कल तो इसको कन्टीन्यु करने का प्रश्न ही नहीं उठता । जो शिड्यूल्ड समय है उसके मुताबिक कार्यवाही होगी ।

(सदन की बैठक १२ बजकर २ मिनट मध्यान्होपरान्त दिनांक १५ सितम्बर, १९५४ के प्रातः ८ बजे के तक लिये स्थगित हुई ।)

मनसाराम पुरोहित
संचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १४ सितम्बर, १९५४.

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर को सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदय की अनुमति है ।)

१७७८. (३४/एस.एन क्यू.) श्री भवानी सहाय शर्मा, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १५–क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या ग्राम इटोली तहसील राजगढ़ जिला अलवर आग लग जाने के कारण जल गया ?

(ख) यह अग्निकान्ड कब हुआ और इससे वहां की जनता का कितना नुकसान हुआ ?

(ग) सरकार वहां के निवासियों को कब और क्या सहायता देना उचित समझती है ?

उत्तर

(क)व(ख)-ग्राम इटोली में २६-३-५४ को आग लगी जिसके कारण २१ परिवारों को नुकसान पहुंचा और ५१ छप्पर जल गये । जनता के नुकसान का अनुमान ६८१३ रु० किया जाता है ।

(ग) जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है इनको कह दिया गया है कि यदि वे चाहें तो नियमानुसार तकावी ले सकते हैं और उन लोगों को कन्ट्रोल रेट पर टीन दिलाने की भी इजाजत दे दी गई है ।

१७७६.(३५/एस. एन. क्यू.) श्री भवानी सहाय शर्मा, एम. एल, ए. डिविजन नम्बर १५-क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या ग्राम टहटडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर आग लग जाने के कारण जल गया ?

(ख) यह अग्निकान्ड कब हुआ और इससे वहां की जनता का कितना नुकसान हुआ ?

(ग) सरकार वहां के निवासियों को कब और क्या सहायता देना उचित समझती है ?

उत्तर

(क)व(ख)–ग्राम टहटडा में २८-५-५४ को आग लगी जिसके कारण २१ परिवारों को नुकसान पहुंचा और ६२ छप्पर जल गये । जनता के नुकसान का अनुमान ७७१८ रु० किया जाता है ।

ग–जिन लोगों को नुकसान पहुंचा हैं उनको कह दिया गया है कि यदि वे चाहें तो नियमा- नुसार तका वी ले सकते हैं ।

Page No.71

परिशिष्ट २

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान निरोधक विधेयक १९५२ को विचारार्थ लेने सम्बन्धी विभाजन-सूची

हां-पक्ष-४१

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	सदस्य का नाम
१.	श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)	२२.	डा० श्री मंगलसिंह (बारी)
२.	श्री छीतरलाल शर्मा	२३.	श्री मोटाराम चौधरी
३.	श्री चुन्नी लाल बिरला	२४.	श्री मोतीलाल चौधरी
४.	श्री धर्मपाल पंवार	२५.	श्री मोतीराम
५.	श्री रामनिवास मिर्धा	२६.	श्री मुक्तिलाल मोदी
६.	श्री घासीराम	२७.	श्री नारायण लाल
७.	श्री घीसीसिंह कटेला	२८.	श्री नाथूराम मिर्धा
८.	श्री हंस राज आर्य (भादरा)	२९.	श्री प्रभुदयाल
९.	श्री हंस राज जटिया (बारी)	३०.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
१०.	श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री	३१.	श्री रामचन्द्र चौधरी
११.	श्री ईश्वरीसिंह	३२.	श्री रामलाल बन्सीवाल
१२.	श्री जगतसिंह झाला	३३.	श्री रामरतन टिक्कीवाल
१३.	श्री कपिलदेव अग्रवाल	३४.	श्री रिद्धिचन्द पालीवाल
१४.	श्री कस्तूर चन्द	३५.	श्री अंगदराम
१५.	श्री किशनलाल शाह	३६.	श्री संतोषसिंह कछवाहा
१६.	श्री लादूराम चौधरी	३७.	श्री श्रीभानसिंह
१७.	श्री लालूराम	३८.	श्री श्रीदास गोयल
१८.	श्री चांदमल मेहता	३९.	श्री श्यामलाल गोयल
१९.	श्री माधोलाल (मेहर)	४०.	श्री सोमाबालू भील
२०.	श्री महादेव प्रसाद (बंका)	४१.	श्री उदयलाल बरदिया
२१.	श्री मंगलसिंह कछवाहा (जोधपुर तहसील उत्तर)		

ना पक्ष–२४

क्रम संख्या सदस्य का नाम	क्रम संख्या सदस्य का नाम
१. श्री ले० क० राजाधिराज श्री अमरसिंह	१३. श्री कानसिंह
२. के० श्री झुझारसिंह	१४. श्री केसरीसिंह (सोजत मुख्य)
३. श्री भैंरूसिंह (राजसमन्द-रेलमगरा)	१५. महाराज श्री केसरीसिंह (पाटन)
४. ठा० श्री भीमसिंह	१६ श्री मन्ना भील
५. श्री छंगा	१७. श्री मोहम्मद इब्राहीम
६. श्री देवीसिंह	१८. श्री नाथूसिंह
७.श्री गणपतसिंह	१९. मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह
८. श्री हनवन्तसिंह	२०. श्री रूपनारायण शास्त्री
९. श्री हिम्मतसिंह (अटरु)	२१. केप्टिन श्री सज्जनसिंह
१०. श्री जयचन्द्र मोहिल	२२. रावराजा सरदारसिंह
११. कु० श्री जसवन्त सिंह	२३. शाह अलीमुद्दीन अहमद
१२. श्री जवान सिंह सोलंकी	२४ श्री तनसिंह